

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BRANCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 500 OF 2025**

**IN THE MATTER OF:**

AASMA

... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH &  
ORS.

... RESPONDENT

**INDEX**

<b>S. NO.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF GHAZIABAD NAGAR NIGAM	1-13
2.	<b><u>ANNEXURE A:</u></b> A TRUE COPY OF THE SAID CONSOLIDATED CTO	14
3.	<b><u>ANNEXURE B:</u></b> A COPY OF THE GEO-TAGGED PHOTOGRAPHS SHOWING MECHANICAL SUCTION AND REMOVAL OF RAINWATER AT DABARSI SITE	15
4.	<b><u>ANNEXURE C:</u></b> A COPY OF THE RELEVANT EXTRACT FROM THE GDA MASTER PLAN 2031 SHOWING INCLUSION OF THE DABARSI SITE	16-27
5.	<b><u>ANNEXURE D:</u></b> A TRUE COPY OF THE VOLUMETRIC SURVEY REPORT DATED 13.11.2025	28-30
6.	<b><u>ANNEXURE E:</u></b>	31-32

	A COPY OF THE D.O. LETTER NO. 22-19/2017-IA-III DATED 03.07.2017 ISSUED BY THE SECRETARY, MOEF&CC	
7.	<b><u>ANNEXURE F:</u></b> A COPY OF GNN'S REQUEST LETTER FOR THE LONI FACILITY	33
8.	<b><u>ANNEXURE G:</u></b> A COPY OF THE APPROVAL LETTER DATED 21.08.2025 ISSUED BY THE JOINT SECRETARY, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH	34
9.	<b><u>ANNEXURE H:</u></b> A COPY OF THE E-TENDER DATED 06.09.2025	35
10.	<b><u>ANNEXURE I:</u></b> A COPY OF THE RELEVANT EXTRACT FROM THE MASTER PLAN 2031 SHOWING INCLUSION OF THE LONI SITE	36-72
11.	<b><u>ANNEXURE J:</u></b> A COPY OF THE APPROVAL LETTER DATED 29.05.2025 ISSUED BY THE GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH	73
12.	<b><u>ANNEXURE K:</u></b> A COPY OF GNN'S REQUEST LETTER DATED 22.05.2025 TO THE VICE CHAIRMAN, GDA, FOR INCORPORATION OF THE NIDORI SITE	74-92
13.	<b><u>ANNEXURE L:</u></b> A COPY OF THE PHOTOGRAPHS DEMONSTRATING BIO-FENCING	93

FILED BY



**MALAK BHATT**  
**ADVOCATE FOR GHAZIABAD NAGAR NIGAM**  
**C-2, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI – 110013**

**M: +91-9650592002**

**E: [malak@malakbhatt.com](mailto:malak@malakbhatt.com)**

**DATE: \_\_.01.2026**  
**NEW DELHI**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BRANCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 500 OF 2025**

**IN THE MATTER OF:**

AASMA

... APPLICANT

VERSUS


STATE OF UTTAR PRADESH &  
ORS.

... RESPONDENT

**AFFIDAVIT**

I, Mithlesh Kumar Singh, s/o Bhushan Singh, aged about 48 years, working as City Health Officer at Ghaziabad Nagar Nigam, presently in New Delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. I am the City Health Officer of Municipal Corporation of Ghaziabad and am fully conversant with the facts and circumstances of the present case and therefore competent to sign and depose the present Affidavit.
2. I state that it is the case of the Applicant that unscientific and illegal dumping of municipal solid waste is occurring at Khasra No. 181, Village Muhiddinpur, Dabarsi, Ghaziabad, Uttar Pradesh. The principal allegations raised by the Applicant allege that: a) M/s Shree Ji Coal Company, i.e. Respondent No. 6/Project Proponent, obtained Consent to Establish dated 05.04.2025 ['CTE'] for setting up a Common Municipal Solid Waste Facility ['CMSWF'] but converted the area into a full-fledged landfill site where unsegregated solid waste is being dumped without proper processing, b) the CTE does not specify the location of




the facility and was granted without obtaining prior Environment Clearance under the EIA Notification, 2006, c) the Project Proponent commenced operations without obtaining Consent to Operate ['CTO'] and has violated multiple specific conditions of the CTE, including failure to install Online Continuous Emission Monitoring System and develop 33% green belt, d) leachate generated from the dumped waste is flowing into nearby agricultural fields (approximately 1,500 sq. feet), causing damage to crops, contaminating soil, and adversely affecting the livelihood and health of residents, e) the Project Proponent has failed to obtain authorization under Rule 15(y) of the SWM Rules, 2016 from the State Pollution Control Board.

3. I affirm that by way of this affidavit, I wish to apprise this Ld. Tribunal that:

**I. REGARDING DABARSI FACILITY (KHASRA NO. 181, VILLAGE DABARSI)**

a. With respect to the allegations concerning solid waste management at Khasra No. 181, Village Dabarsi, Ghaziabad, it is humbly submitted that GNN, in discharge of its statutory obligations under the SWM Rules, 2016, initiated a tender process for establishment of a Common Municipal Solid Waste Management Facility. Pursuant to the e-tendering process conducted during November-December 2024, M/s Shree Ji Coal Company was awarded the contract for 'Handling, Processing and Disposal of Solid Waste' vide letter dated 10.01.2025. A




copy of the letter dated 10.01.2025 issued by GNN is already annexed as Annexure A-2 to the Original Application.

- b. The Project Proponent obtained Consent to Establish dated 05.04.2025 from the Uttar Pradesh Pollution Control Board for setting up of Common Municipal Solid Waste Facility with capacity for bio-compost (100 TPD), RDF - Refused Derived Fuel (400 TPD), and Inert (400 TPD) by processing 900 TPD of raw material. A copy of the said CTE is already annexed.
- c. The Project Proponent has also duly obtained Consolidated Consent to Operate and Authorization under Section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, vide Order No. 250660/UPPCB/Ghaziabad(UPPCBRO)/CTO/both/GHAZIABAD/2025 dated 13.11.2025, valid for the period from 13.11.2025 to 31.12.2029. A true copy of the said Consolidated CTO is annexed herewith and marked as **Annexure A**.
- d. The allegations concerning leachate generation and its discharge into agricultural fields are misconceived and factually incorrect. The Project Proponent has established and commissioned a comprehensive Effluent Treatment Plant/Leachate Treatment Plant (ETP/LTP) at the Dabarsi facility, for which necessary approvals have been obtained from




UPPCB. The said ETP/LTP is specifically designed to treat leachate generated from waste processing activities.

- e. It is clarified that the liquid accumulation observed at the site during August-September 2025, as alleged by the Applicant, was attributable to prolonged and excessive rainfall over a period of four to five months and constituted rainwater accumulation, not leachate as incorrectly characterized. This fact is substantiated through geo-tagged photographic evidence. Upon observation of such accumulation, GNN immediately undertook mechanical suction and removal of the accumulated rainwater. A copy of the geo-tagged photographs showing mechanical suction and removal of rainwater at Dabarsi Site has been annexed herein as **Annexure B**.
- f. The Dabarsi site has been duly incorporated in the Ghaziabad Development Authority's Master Plan 2031, thereby conferring statutory recognition to the facility as a designated site for solid waste management infrastructure. This inclusion demonstrates that the site selection has been undertaken in accordance with planning norms and with approval of the competent planning authority. A copy of the relevant extract from the GDA Master Plan 2031 showing inclusion of the Dabarsi site is annexed herewith and marked as **Annexure C**.
- g. The Dabarsi facility has been established with an initial processing capacity of 900 TPD, with provision for scalability up to 1400 TPD,



thereby ensuring adequate capacity for scientific processing of municipal solid waste generated within GNN's jurisdiction. The facility is equipped with modern machinery and infrastructure for segregation, processing, and scientific management of waste in accordance with the SWM Rules, 2016.

- h. A scientific volumetric analysis through drone survey conducted on 13.11.2025 at the Dabarsi site which establishes that only approximately 1.29 lakh metric tonnes of waste remains to be processed at this facility, demonstrating substantial progress in waste processing and management. A true copy of the Volumetric Survey Report dated 13.11.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure D**.
- i. Further, w.r.t. the allegations in the Original Application regarding absence of Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006, it is humbly submitted that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide D.O. letter No. 22-19/2017-IA-III dated 03.07.2017 issued by the Secretary, MoEF&CC, after examination by the Expert Group, provided authoritative clarification that municipal solid waste management activities such as composting, RDF making, and waste to energy plants, when proposed as standalone activities or at existing sites, do not require prior environmental clearance under Item 7(i) of the EIA Notification, 2006, and that the requirement of prior EC specifically applies to landfill sites or municipal solid waste disposal



sites due to their contentious nature and potential proximity to ecologically sensitive areas.


A copy of the D.O. letter No. 22-19/2017-IA-III dated 03.07.2017 issued by the Secretary, MoEF&CC is annexed herewith and marked as

**Annexure E.**

## II. COMPREHENSIVE SOLID WASTE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE

### A. Loni Solid Waste Management Facility

- a. In furtherance of its commitment to scientific and comprehensive solid waste management, and in compliance with the SWM Rules, 2016, GNN undertook proactive measures to establish additional processing infrastructure at strategically located sites.
- b. Approximately 20 acres (8.265 Hectares) of land situated at Loni had been resumed in the year 2012 by the then District Magistrate specifically for solid waste management purposes and recorded in the name of Nagar Vikas Vibhag. A solid waste processing plant was established on this land by Construction & Design Services (C&DS), UP Jal Nigam in 2021 at a capital cost of approximately INR 17 crores, which remained underutilized.
- c. GNN submitted a comprehensive proposal to the Government of Uttar Pradesh seeking permission to operate the Loni facility on a cluster-based approach, with due consent obtained from the District Magistrate,



Ghaziabad. A copy of GNN's request letter for the Loni facility is annexed herewith and marked as **Annexure F**.

- d. Vide letter dated 21.08.2025, the Joint Secretary, Government of Uttar Pradesh, after obtaining approval from the competent authority, accorded approval for handing over of the said land for establishment of the Loni Solid Waste Management Plant in larger public interest, under the provisions of Section 124 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act. A copy of the approval letter dated 21.08.2025 issued by the Joint Secretary, Government of Uttar Pradesh, is annexed herewith and marked as **Annexure G**.
- e. Pursuant to the said approval, GNN issued e-tender No. 233-4/-/2025-26 dated 06.09.2025 for supply, installation, and commissioning of a 2000 TPD Municipal Solid Waste processing plant, extendable up to 3000 TPD (wet and dry waste), along with operation and maintenance for a minimum period of seven years, extendable by an additional three years. The work order has been issued and the plant is scheduled to be operational by 15.02.2026. A copy of the e-tender dated 06.09.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure H**.
- f. The Loni facility site has been duly incorporated in the Master Plan 2031, thereby conferring statutory recognition as a designated solid waste management site. A copy of the relevant extract from the Master



Plan 2031 showing inclusion of the Loni site is annexed herewith and marked as **Annexure I**.

**B. Nidori Solid Waste Management Facility**

- g. GNN simultaneously undertook parallel efforts to augment solid waste processing capacity at Nidori, falling under the jurisdiction of Khora Nagar Palika, measuring approximately 2.5 hectares. A solid waste processing plant established by C&DS, UP Jal Nigam in 2022 at a capital cost of approximately INR 12 crores at this site remained non-operational.
- h. Pursuant to proactive intervention by GNN and upon obtaining requisite permission from the Government of Uttar Pradesh vide approval dated 29.05.2025, the said plant was formally handed over to GNN with permission to operate on a cluster-based model. A copy of the approval letter dated 29.05.2025 issued by the Government of Uttar Pradesh is annexed herewith and marked as **Annexure J**.
- i. The tendering process for operation of the Nidori facility has been completed, and work order has been issued for a 750 TPD plant, which shall be operational by 15.03.2026.
- j. The Nidori site has been proposed for inclusion in the statutory planning framework and has been incorporated in the proposed list of GDA's Master Plan 2031, approval for which is under process. A copy of GNN's request letter dated 22.05.2025 to the Vice Chairman, GDA, for



incorporation of the Nidori site is annexed herewith and marked as **Annexure K**.

**C. Galand Waste-To-Energy Facility**

k. GNN has identified a site at Galand for development of an advanced Waste-to-Energy (WTE) facility on a cluster basis, in consultation with Hapur District Administration. Bio-fencing measures have been undertaken as interim environmental safeguards. A copy of the photographs demonstrating bio-fencing is annexed herewith and marked as **Annexure L**.

l. Multiple preparatory and facilitative measures have been undertaken at the Galand site, including:

- i. The Horticulture Department is developing a green buffer zone along the outer periphery, wherein approximately 17,000 saplings have been planted and fenced, with remaining plantation work in progress;
- ii. A tender for construction of boundary wall was invited on 26.11.2024, and work order was issued on 25.01.2025;
- iii. GNN vide letter dated 27.04.2025 requested the then Vice Chairman, GDA, to conduct inquiry and take action for removal

of unauthorized constructions in the vicinity of the 44.25-acre site at Galand, which are obstructing the mandatory buffer zone;




- iv. Stakeholder consultations have been undertaken, with the Municipal Commissioner holding discussions with villagers on 06.08.2024 and encouraging site visits to operational WTE plants in Delhi, Indore, and other states.
- m. Memorandum of Understanding is in place for development of the WTE facility at Galand, and further action shall be taken in accordance with the outcome of ongoing deliberations with Hapur District Administration.

**D. Comprehensive Processing Capacity**

- n. upon operationalization of all facilities by 15.03.2026, GNN's total processing capacity shall be:
  - i. Dabarsi: 900-1400 TPD
  - ii. Loni: 2000 TPD
  - iii. Nidori: 750 TPD

**Total: 3650 TPD (minimum)**
- o. This capacity is almost double the current waste generation within GNN's jurisdiction, thereby ensuring adequate infrastructure for scientific waste management on a sustainable basis.
- p. GNN has established Material Recovery Facilities at multiple locations with total capacity of 450 TPD:
  - i. Ret Mandi: 250 TPD
  - ii. Sihani: 150 TPD



- iii. Akbarpur-Behrampur: 50 TPD
- q. GNN has undertaken comprehensive remediation of legacy waste at multiple sites, with approximately 14.5 lakh metric tonnes of legacy waste having been scientifically processed and remediated. Details of sites where remediation has been completed include:
- i. Pratap Vihar: 5 lakh MT remediated (converted to Miyawaki Forest)
  - ii. Indirapuram: 1.67 lakh MT remediated (converted to Miyawaki Forest)
  - iii. Morta: 5 lakh MT remediated (given back to original farmers)
  - iv. Bikkanpur Legacy Waste Site 1: 2.72 lakh MT completely remediated

**E. Compliance With Statutory Obligations**

- r. GNN submits that it has undertaken all measures in strict compliance with the SWM Rules, 2016, including:
- i. Facilitation of construction, operation, and maintenance of solid waste processing facilities through private sector participation;
  - ii. and allocation of suitable land for solid waste processing and disposal facilities in coordination with District Administration and concerned authorities;



- iii. Adherence to specifications for sanitary landfills and pollution prevention measures, including establishment of ETP/LTP facilities;
- iv. Obtaining necessary authorizations and consents from UPPCB under relevant provisions.
- s. All facilities established or being established by GNN or its authorized contractors are in compliance with the EIA Notification, 2006, and have obtained or are in the process of obtaining all necessary environmental clearances and statutory approvals from competent authorities.
- t. GNN maintains regular monitoring and supervision of all waste processing facilities through its designated officers and ensures compliance with environmental standards prescribed under applicable laws and regulations.
- u. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity based on and derived from the official records maintained by the Ghaziabad Nagar Nigam in the official capacity and I state that nothing material has been concealed therefrom.

  
DEPONENT



**VERIFICATION**

I, the above-named deponent, do hereby solemnly verify that the contents of the aforesaid affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

11 FEB 2026

Verified at \_\_\_\_\_ on this \_\_\_\_ day of January 2026.

*[Signature]*  
**DEPONENT**

*[Signature]*  
I identified the deponent who has signed in my presence



**ATTESTED**  
*[Signature]*  
NOTARY (Govt. of India)  
SANTOSH DEVI  
Advocate  
Seat No. 13, SDM Gallery  
Patiala House Courts,  
New Delhi-110001  
(M): 9582542624

11 FEB 2026

## Annexure A: Consent to Operate at Dabarsi Facility including Effluent/Leachate Treatment Plant



**Uttar Pradesh Pollution Control Board**  
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
 Phone: 0522-2720828, 2720831, Fax: 0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

Category : BLUE Application Id : 33778175  
 250660/Uppcb/Ghaziabad(Uppcbro)/CTO/both/GHAZIABAD/2025 Date: 13/11/2025

To,  
 M/s  
**SHREE JI COAL COMPANY**  
 Khasra No. - 181, Village - Muhiddinpur, Dabarsi, Ghaziabad (U.P.),GHAZIABAD,

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Authorization under Rule-6(2) of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 notified under Environment (Protection) Act, 1986 as applicable (to be referred hereinafter as Water Act, Air Act and HW Rules respectively).

CCA is hereby granted to **SHREE JI COAL COMPANY** located at **Khasra No. - 181, Village - Muhiddinpur, Dabarsi, Ghaziabad (U.P.),GHAZIABAD,** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. &&&& This CCA **SHREE JI COAL COMPANY** granted for the period from **13/11/2025 to 31/12/2029** a valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	COMMON MUNICIPAL SOLID WASTE FACILITY (CMSWF)	-	Metric Tonnes/Month
2	BIO COMPOST	100 MT/DAY	Metric Tonnes/Day
3	RDF	400 MT/DAY	Metric Tonnes/Day
4	INERT	400 MT/DAY	Metric Tonnes/Day


### 2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) & The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1.60 KLD THROUGH SEPTIC TANK	Septic Tank	SEPTIC TANK/SOAK PIT
Industrial	15.0 KLD THROUGH ETP	ETP	TREATED WATER THROUGH ETP

(ii) & Trade Effluent Treatment and Disposal :- The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

**Annexure B: Mechanical suction and removal of rainwater at Dabarsi Site**



## ANNEXURE C

संयुक्त जी.आई.एस. आधारित गाज़ियाबाद,  
लोनी एवं मोदीनगर महायोजना-2031  
(पुनरीक्षित)

269



कार्यालय: नगर आयुक्त, गाज़ियाबाद नगर निगम

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाष: 0120-2790425, 2713580

ई-मेल: gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांक: 103 /न0आ0/2025

दिनांक: 14/05/2025

To

The Vice Chairman,  
Ghaziabad Development Authority (GDA)  
Vikash Path, Near Old Bus Stand,  
Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201001

**Subject:** Incorporation of Geotagged Locations of Solid Waste Management (SWM) Processing Facilities in the upcoming/existing Ghaziabad Master Plan- reg.

Dear Sir,

As per the guidelines issued under the **Swachh Bharat Mission - Urban (SBM-U) 2.0** and the **CPHEEO Manual on Municipal Solid Waste Management (2016)**; regular directions of the Hon'ble NGT, it is strongly recommended to integrate GIS-based mapping and geotagging of all SWM-related infrastructure to facilitate effective planning, monitoring, and sustainable urban development.

This is to request you to include all SWM facilities attached herewith (refer Annexure I), the geotagged locations (latitude and longitude coordinates) in the upcoming/existing Ghaziabad Master Plan to ensure spatial integration and effective infrastructure planning. Inclusion of these geospatial data points in the Master Plan will:

- Ensure comprehensive spatial integration of SWM infrastructure
- Help in avoiding land use conflicts and encroachments
- Facilitate better coordination between departments and stakeholders

It is further requested that as and when GDA makes land available for SWM infrastructure in Indirapuram (as agreed by both parties in the handover document), you may direct the officials concerned to update and geotag the location of the said SWM facilities in the master plan for the Indirapuram area.

Enclosed:

1. Co-ordinates of the processing facilities along with KML file link
2. Pictorial representation of the facilities on the map, for ease of reference

  
**Vikramaditya Singh Malik (IAS)**  
Municipal Commissioner  
Ghaziabad Nagar Nigam

Copy To:

1. Hon'ble Divisional Commissioner, Meerut Division
2. Hon'ble District Magistrate, Ghaziabad
3. Concerned officials of Ghaziabad Nagar Nigam with directions to follow up with GDA.

  
**Vikramaditya Singh Malik (IAS)**  
Municipal Commissioner

## Annexure I

Solid Waste Management Facilities (Ghaziabad Nagar Nigam)					
Material Recovery Facilities (MRFs)					
Sr. No	Zone	Plant Name	Location Details	Latitude	Longitude
1	City Zone	Sihani Garage- Garbage Factory 1	Sihani Garage, Ghaziabad	28.691	77.425
2	Kavi Nagar	P Block Sanjay Nagar MRF	P-Block, Sanjay Nagar, Ghaziabad	28.688	77.456
3	Kavi Nagar	M Block Sanjay Nagar MRF	Ward 53, M Block Sanjay Nagar, Ghaziabad	28.694	77.460
4	City Zone	Ret Mandi Hindon- Garbage Factory 2	Ret Mandi Hindon Vihar	28.677	77.412
5	Vijay Nagar Zone	Akbarpur Behrampur	Akbarpur Behrampur	28.635	77.410
6	Mohan Nagar	Rajeev Colony MRF Centre	Rajeev Colony, Mohan Nagar, Ghaziabad	28.682	77.382
7	Mohan Nagar	Kareda MRF Centre	Karera, Mohan Nagar, Sahibabad, Ghaziabad	28.687	77.382
8	Mohan Nagar	Apsra Border MRF Centre	Ward 34 Sahibabad Site 4, Ghaziabad	28.674	77.326
9	Mohan Nagar	Arthala MRF Centre	Ward 38, Arthala Road, Sanjay Colony, Mohan Nagar, Ghaziabad	28.676	77.395
10	Vasundhara	Sahibabad Mandi MRF Centre	Madan Mohan Malviya Nagar	28.662	77.359
11	Vasundhara	Sahibabad Depo MRF Centre	Sahibabad Site 4, Ghaziabad	28.671	77.366
12	Vasundhara	Maharanj Pur Gaanv (Near Idgah)	Vasundhara	28.676	77.395

13	Vasundhara	Sector 8 Waste Collection Point Vasundhara	Infront of Indapuram Thana, Vasundhara	28.662	77.372
14	Kavi Nagar	Kavi Nagar MRF Centre	Ward No 65, Swadeshi Compund Gate	28.657	77.453
15	Kavi Nagar	Raj Nagar MRF	Ward no 84, Near Zila Sahkari Bank	28.657	77.453
16	City Zone	Lohiya Nagar Waste Collection Centre	Ward No, 69 Hamdard Chowki	28.665	77.437
17	City Zone	Nandgram Waste Collection Centre	Ward No 11, Uttranchal Bhawan	28.693	77.401
18	City Zone	Kaila Bhatta MRF Centre	Ward No 92, Near Govt School, City Zone	28.666	77.420
19	City Zone	Durga Bhabhi Chowk Waste Collection Centre	Ward No. 59, City Zone	28.667	77.427
20	City Zone	Sabji Mandi Waste Collection Centre	Ward 12, Sabji Mandi, City Zone	28.668	77.431
<b>Mechanized Garbage Transfer Station</b>					
Sr. No	Zone	Plant Name	Location Details	Latitude	Longitude
1	Vijay Nagar Zone	Akbarpur Behrampur	Akbarpur Behrampur	28.635	77.410
2	Kavi Nagar	Sanjay Nagar M Block Transfer Station	Raheespur	28.694	77.460
3	Mohan Nagar	Shyam Park Extension	Shyam Park Extension (Rajendra Nagar)	28.680	77.360
4	City Zone	Sihani Garage	Noor Nagar (Saddiki Nagar)	28.691	77.426
5	Kavi Nagar	Madhuban Bapudham (Govindpuram)	E Block Govindpuram	28.694	77.492

6	Mohan Nagar	Mohan Nagar Metro Waste Transfer Station	17, Opp Agarwal Sweets, Rajendra Nagar, Block-7, Sector 5 Shahidabad	28.679	77.360
7	Vasundhara	Vasundhara Nature Green Transfer Station	49/70 Site-4, Sahidabad Industrial Area, Gamm-2 Sahidabad	28.672	77.357
<b>C&amp;D Waste Plant</b>					
1	City Zone	C&D Waste Processing Plant	Hindon Vihar, Sewa Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh	28.678	77.415
<b>Other Facilities</b>					
1	Dabarsi Site Waste Processing Site (expandable for future use)		Village Dabarsi, Ghaziabad	28.724	77.582
2	Bhikkanpur Dumping Ground		Village Bhikkanpur, Ghaziabad	28.667	77.449
3	Site at Galand and Pipalheda		Village Galand and Village Pipalheda	28.678	77.570

- Encl:**
1. Link of the KML File listing co-ordinates of the facilities
  2. [https://earth.google.com/earth/d/1Ms7o1H3glwwFfx\\_Q-x1EzbCQ9rTSlxpf?usp=sharing](https://earth.google.com/earth/d/1Ms7o1H3glwwFfx_Q-x1EzbCQ9rTSlxpf?usp=sharing)



*Signature*

3. Locations represented on the map of Ghaziabad (for reference)
4. Site plan of the Galand and Pipalheda Site

SOLID WASTE MANAGEMENT  
WASTE TO ENERGY PLANT PROPOSED LAND  
CADASTRAL MAP



LAND OF GALAND & PIPALHEDA  
 TOTAL AREA OF LAND = 17.9084 HEC.  
 OR = 44.25 ACRE

NOTE:-  
 LENGTH APPROXIMATE BECAUSE WATER LODGING

क्र.सं.	वार्ड संख्या	वर्तमान (मी.)	प्रस्तावित (मी.)	योग (मी.)
4	16	3726.49	4979.4	8705.89
5	17	1694.5	13893.4	15587.9
6	18	1533.5	6532.4	8065.9
7	20	1748.4	18268.2	20016.6
8	22	1426.8	10146.5	11573.3
9	23	2049.4	4566.1	6615.5
10	24	2259	14935.89	17194
11	25	1801	9599.7	11401.1
12	27	2043	3769.5	5812.56
13	30	235.5	0.0	235.5
14	35	947.9	14091.4	15039.3
	<b>योग</b>	<b>26386.45</b>	<b>132877.59</b>	<b>159264.04</b>

स्रोत : प्रस्तावित सीवरेज लाईन, उत्तर प्रदेश जल निगम

उपरोक्त वर्णित वार्डों में कुछ क्षेत्रों जैसे अंकुर कॉलोनी आदि भी सम्मिलित हैं। लोनी में वर्तमान में स्थापित ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 30 एमएलडी है।

### 3.12.2.2.3.2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

तालिका 3.61 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), लोनी

क्र.सं.	स्थान	क्षमता (एमएलडी)	एसटीपी में प्रवाह	दक्षता % में
1-	ग्राम – सदुल्लाहबाद तहसील – लोनी	30	20	75%
2-	ट्रॉनिका सिटी – लोनी, गाज़ियाबाद	6 (CETP)	-	-

स्रोत : जल निगम, गाज़ियाबाद

ऊपर वर्णित तालिका में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का विवरण दर्शाया गया है। लोनी तहसील के सादुल्लाबाद गांम में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 32 एमएलडी का स्थापित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रवाह 20 एमएलडी एवं दक्षता 75% है। उपचारित जल को यमुना नदी में प्रवाहित किया जाता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ मूलभूत ढांचे पर भी भार बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, सीवेज जल के उपचार की मांग को पूर्ण करने हेतु ट्रॉनिका सिटी, लोनी गाज़ियाबाद में 6 एमएलडी का समान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है। जल निगम बोर्ड के अनुसार पूर्व में 32 के.एल के निर्माण की पूर्णता तिथि 31.12.2020 थी। कोविड-19 महामारी के कारण 32 के.एलडी एफएसटीपी के निर्माण में विलम्ब हुआ है। सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कार्य एवं परिसर सम्बन्धी विकास कार्य पूर्ण कर एफएसटीपी को 31.01.2021 तक चालू किया गया है।

## 3.12.3 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

### 3.12.3.1 गाज़ियाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन भी बढ़ा है। इस प्रकार देश में नगरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (SWM) एक गम्भीर समस्या है। ना केवल अपशिष्ट की मात्रा, बल्कि संरचना भी परिवर्तित हो रही है, जिसमें एक बड़ा भाग गैर-बायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट का है। उत्पन्न

होने वाले ठोस अपशिष्ट को नगर पालिकाओं द्वारा पृथक करना, एकत्रित करना, परिवहन एवं अंततः निस्तारण आवश्यक है। यदि यह प्रक्रिया उचित प्रकार से नहीं की जाती है तो यह पर्यावरण हेतु भय उत्पन्न करती है।

गाजियाबाद के सम्पूर्णनगर निगम क्षेत्र को 5 स्वच्छता क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

**तालिका 3.62 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन ज़ोन्स एवं वार्डों का विवरण**

ज़ोन	कुल वार्ड	वार्ड संख्या
मोहन नगर	14	9,14,17,24,44,46,48,57,60,63,69,70,73,75
कबीर नगर	17	16,20,21,22,33,34,35,38,42,53,59,64,65,67,68,71,79
विजय नगर	14	2,3,6,8,12,13,15,18,23,26,45,51,52,66
वसुन्धरा	11	25,28,29,36,37,40,41,49,58,72,78
नगर ज़ोन	24	1,4,5,7,10,11,19,27,30,31,32,39,43,47,50,54,55,56,61,62,74,76,77,80

स्रोत : गाजियाबाद का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन महायोजना, 2009 (एनसीआरपीबी-एडीबी) रिपोर्ट

प्रत्येक ज़ोन एक स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक के प्रभार में है एवं एक ज़ोन कार्यालय है जो सभी स्वच्छता गतिविधियों के नियंत्रण हेतु प्रत्येक क्षेत्र में एक अधिकृत स्थान है। वार्ड स्तर पर सफाई कार्य की देखरेख वार्ड पर्यवेक्षक करते हैं। औसतन प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर 3 सफाईकर्मी नियुक्त हैं।

उत्तर प्रदेश हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की उपक्षेत्रीय योजना के अनुसार गाजियाबाद जिले में ठोस अपशिष्ट उत्पादन का वर्तमान परिदृश्य 0.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस औसत के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 16,48,643 व्यक्तियों की जनसंख्या वाला गाजियाबाद प्रतिदिन लगभग 742 मैट्रिक टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है। 34,914 लोगों की जनसंख्या वाला डासना प्रतिदिन लगभग 16 मैट्रिक टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-103/न0आ0/2025 दिनांक 14.05.2025 के माध्यम से "Geo Tagged स्थल" ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु उपलब्ध कराये गये हैं, जिनका भू-उपयोग "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन" की परिधि में माना जायेगा। उपरोक्त का विवरण परिशिष्ट- (पृष्ठ संख्या-287 पर) संलग्न किया गया है।

वर्ष 2016 के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि गाजियाबाद में 1050 टीपीडी ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है जिसमें से 1000 टीपीडी एकत्र किया जा रहा है। घर-घर जाकर ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की व्यवस्था है जो नगर की सम्पूर्ण जनसंख्या को कवर करती है, किन्तु इस अपशिष्ट के केवल 20 प्रतिशत ही स्रोत अर्थात् परिवारिक स्तर पर अलग किया जा रहा है। चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण एवं निस्तारण की उत्तरदायी सीएमओ स्तर पर ली जाती है एवं इसे शत-प्रतिशत किया जाता है। नगर की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करते हुए नगर के सम्पूर्णक्षेत्र में व्यापक सफाई की जाती है। अपशिष्ट उपचार संयंत्र की क्षमता 175 मैट्रिक टन है किन्तु संग्रह एवं परिवहन के पश्चात प्रतिदिन केवल 90 मैट्रिक टन अपशिष्ट ही उपचारित करके खाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है।

### 3.12.3.1.1 अपशिष्ट संरचना

नगर निकाय ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste, MSW) स्ट्रीम में, अपशिष्ट को मुख्य रूप से दो रूप नामतः बायोडिग्रेडेबल एवं गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अपशिष्ट संरचना को कार्बनिक, कागज़, प्लास्टिक, कांच, धातु एवं निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश 2015 के अनुसार भू-उपयोग के आधार पर अपशिष्ट को (i) आवासीय अपशिष्ट, (ii) व्यवसायिक अपशिष्ट, (iii) सड़क/मार्ग सफाई अपशिष्ट एवं (iv) संस्थागत अपशिष्ट जैसे अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट उद्योग, निर्माण कार्य से उत्पन्न अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गाजियाबाद नगर में उत्पन्न होने वाला औद्योगिक अपशिष्ट एवं जैव-चिकित्सा अपशिष्ट इसके निवासियों हेतु खतरा बन गया है। उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीएसपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार,

गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में खतरनाक अपशिष्ट के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों 2015 के अनुसार नगर में उत्पन्न प्रति व्यक्ति अपशिष्ट का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 3.63 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पादन

क्र.सं.	भू-उपयोग अवशिष्ट	अनुमानित अपव्ययी उत्पादन
1.	आवासीय अपशिष्ट	0.3 से 0.6 किग्रा / कैप / दिन
2.	व्यवसायिक अपशिष्ट	0.1 से 0.2 किग्रा / कैप / दिन
3.	सड़क / मार्ग अपशिष्ट	0.05 से 0.2 किग्रा / कैप / दिन
4.	संस्थागत अपशिष्ट	0.05 से 0.2 किग्रा / कैप / दिन

स्रोत : यूआरडीपीएफआई, 2015

### 3.12.3.1.2 अपशिष्ट परिवहन

परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण चरण है, विभिन्न स्थानों से संग्रहित ठोस अपशिष्ट विशेष रूप से डिजाइन किये गये वाहनों में स्वच्छ प्रकार से निस्तारण स्थल तक पहुंचाया जाता है। यह चरण अधिक पूंजी गहन है क्योंकि परिचालन लागत सामान्यरूप से अधिक होती है, जो प्राथमिक संग्रहण एवं प्रसंस्करण दोनों को प्रभावित करती है।

नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों से ठोस अपशिष्ट का परिवहन पूर्ण रूप से गाज़ियाबाद नगर निगम द्वारा किया जाता है एवं इसमें कोई निजी क्षेत्र की भागीदारी सम्मिलित नहीं है। गाज़ियाबाद नगर निगम द्वारा अपने स्वयं के वाहनों के साथ अपशिष्ट का परिवहन कार्य किया जाता है एवं यह देखा गया है कि सम्पूर्ण अपशिष्ट का परिवहन नहीं होता है एवं अधिक मात्रा में अपशिष्ट या तो सड़कों पर ही छोड़ दिया जाता है अथवा खुले व खाली भूखण्डों, निचले क्षेत्रों एवं नालियों में जमा होता है अथवा निस्तारित होता है।

तालिका 3.64 गाज़ियाबाद नगर निगम में अपशिष्ट निस्तारण हेतु उपलब्ध वाहनों का विवरण , वर्ष 2010

वाहन का प्रकार	ज़ोन का नाम					योग
	नगर	कबीरनगर	विजयनगर	मोहननगर	वसुन्धरा	
लोडर	4	2	1	1	2	10
खुदाई सह लोडर	2	2	1	2	2	9
ट्रैक्टर ट्रॉली	13	5	5	5	1	29
ट्रक टिपर	9	10	4	7	5	35
डीपी वाहक 2 सह	-	2	1	-	1	4
डीपी कंटेनर 2 सह	-	72	36	-	35	143
डीपी वाहक 4-5 सह	6	3	1	2	3	15
डीपी कंटेनर 4-5 सह	90	87	20	34	43	274
गति	6	5	7	3	3	24
आर सी	1	-	-	-	-	1
ट्रैक्टर कैरियर	1	-	-	-	-	1

स्रोत : गाज़ियाबाद की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन महायोजना, 2009 (NCRPB-ADB) Report

### 3.12.3.1.3 सर्वे अध्ययन

ठोस अपशिष्ट नगर के विकास के मुख्य घटकों में से एक है। सर्वे किये गये सभी परिवारों के सापेक्ष 98% परिवारों में नगर निकाय द्वारा डोर-टू-डोर संग्रहण किया जाता है। 0.5% परिवारों से निजी संस्थाओं द्वारा डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण किया जाता है 1% परिवार अपशिष्ट संग्रहण के अनुसार अन्य उपायों पर निर्भर करते हैं। एवं 0.50% परिवार स्वयं द्वारा पर निर्भर करते हैं।

तालिका 3.65 ठोस अपशिष्ट का प्रतिदिन संग्रहण

क्र.सं.	ठोस अपशिष्ट संग्रहण	प्रतिशत
1	नगर निकाय द्वारा डोर-टू-डोर संग्रहण	98.00

क्र.सं.	ठोस अपशिष्ट संग्रहण	प्रतिशत
2	संस्थाओं द्वारा	0.50
3	उपायों पर निर्भर	1.00
4	स्वयं द्वारा	0.50
<b>योग</b>		<b>100.00</b>

स्रोत : प्राथमिक सर्वे, 2020, डी.डी.एफ. कन्सल्टेंट प्रा.लि.

चित्र 3.17 ठोस अपशिष्ट का प्रतिदिन संग्रहण(प्रतिशत में)



सीपीएचईईओ द्वारा नगर निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Municipal Solid Waste Management, MSWM) पर मैनुअल के अनुसार गणना के प्रकारों के आधार पर लैंडफिल क्षेत्र की आवश्यकता पर कार्य किया गया है।

तालिका 3.66 लैंडफिल स्थल हेतु आवश्यकता

क्र.सं.	अपशिष्ट मात्रा (लैंडफिल स्थल का डिज़ाइन)		आवश्यक स्थल क्षेत्र
	मिलियन में	लाख में	
1.	<1.0	<10	15 - 20
2.	1.0 – 2.0	10 - 20	20 - 30
3.	2.0 – 3.0	20 - 30	30 - 40
4.	>3.0	>30	>40

Source: Developed by the Expert Committee for Revision of MSWM manual (2013-15)

### 3.12.3.2 मोदीनगर में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

नगर निकाय ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste, MSW) स्ट्रीम में, अपशिष्ट को मुख्य रूप से दो रूप नामतः बायोडिग्रेडेबल एवं गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अपशिष्ट संरचना को कार्बनिक, कागज़, प्लास्टिक, कांच, धातु एवं निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश 2015 के अनुसार भू-उपयोग के आधार पर अपशिष्ट को (i) आवासीय अपशिष्ट, (ii) व्यवसायिक अपशिष्ट, (iii) सड़क/मार्ग सफाई अपशिष्ट एवं (iv) संस्थागत अपशिष्ट जैसे अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट उद्योग, निर्माण कार्य से उत्पन्न अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 3.67 योजना क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन का आकलन

वर्ष	अनुमानित जनसंख्या	प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	उत्पादित अपशिष्ट
<b>2031</b>	663883	0-56kg	372 MTD

स्रोत : यूआरडीपीएफआई, 2015

योजना क्षेत्र में वर्ष 2031 हेतु अनुमानित अपशिष्ट उत्पादन लगभग 372 MTD होगा।

### 3.12.3.2.1 वर्ष 2031 हेतु अपशिष्ट उत्पादन

तालिका 3.68 अनुमानित अपशिष्ट उत्पादन

क्र.सं.	भू-उपयोग अवशिष्ट	अनुमानित अपव्ययी उत्पादन
1	आवासीय अवशिष्ट	0.3 से 0.6 किग्रा / कैप / दिन
2	व्यवसायिक अवशिष्ट	0.1 से 0.2 किग्रा / कैप / दिन
3	सड़क / मार्ग अवशिष्ट	0.05 से 0.2 किग्रा / कैप / दिन
4	संस्थागत अवशिष्ट	0.05 से 0.2 किग्रा / कैप / दिन

स्रोत : यूआरडीपीएफआई, 2015

### 3.12.3.2.2 लैंडफिल स्थल हेतु आवश्यकताएँ

तालिका 3.69 लैंडफिल स्थल हेतु आवश्यकताएँ

क्र.सं.	अपशिष्ट मात्रा मिलियन में	अपशिष्ट मात्रा लाख में	आवश्यक स्थल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	<1.0	<10	15-20
2	1.0 – 2.0	20	20-30
3	2.0 – 3.0	20-30	30-40
4	>3.0	>30	>40

स्रोत : यूआरडीपीएफआई, 2015

### 3.12.3.2.3 सर्वे अध्ययन (मोदीनगर)


ठोस अपशिष्ट नगर के विकास के मुख्य घटकों में से एक है। सर्वे किये गये सभी परिवारों के सापेक्ष 42% परिवारों में नगर निकाय द्वारा डोर-टू-डोर संग्रहण किया जाता है। 26% परिवारों से निजी संस्थाओं द्वारा डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण किया जाता है एवं 8% परिवार अपशिष्ट संग्रहण के अनुसार अन्य उपायों पर निर्भर करते हैं एवं 24% परिवार स्व-संग्रहण के अन्तर्गत आते हैं।

तालिका 3.70 मोदीनगर में ठोस अपशिष्ट संग्रहण

ठोस अपशिष्ट संग्रहण	प्रतिशत
नगर निकाय द्वारा डोर-टू-डोर संग्रहण	42%
निजी संस्थाओं द्वारा डोर-टू-डोर संग्रहण	26%
अन्य	8%
स्व-संग्रहण	24%

स्रोत : प्राथमिक सर्वे, 2020, डी.डी.एफ. कन्सल्टेंट प्रा.लि.

चित्र 3.18 मोदीनगर में ठोस अपशिष्ट संग्रहण के स्रोतों का प्रतिशत



स्रोत : प्राथमिक सर्वे, 2020, डी.डी.एफ. कन्सल्टेंट प्रा.लि.

### 3.12.3.3 लोनी में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

तालिका 7.7 में सेवा स्तरीय विश्लेषण, 2019 के अनुसार, घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण की कुल घरेलू कवरेज 96.90 प्रतिशत है एवं उत्पन्न अपशिष्ट मात्रा 166.80 मैट्रिक टन है। ग्राम मीरपुर हिन्दू में 8.265 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले डम्पिंग साइट को 25 सितम्बर, 2012 को अधिसूचित किया गया था। सेवा स्तरीय बेंचमार्क रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, लोनी से किये गये संग्रहण की कुल संख्या 1,21,378 है, जिसमें घरेलू, होटल, रेस्टोरेंट एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संग्रहण सम्मिलित है। लोनी में कुल उत्पादित अपशिष्ट 9406.7 मैट्रिक टन प्रतिमाह है। प्रतिदिन 6 बार यात्राओं के द्वारा 142 वाहनों का उपयोग प्रतिमाह 15,687 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का परिवहन किया जाता है।

तालिका 3.71 सेवा स्तर विश्लेषण, 2019

क्र.सं.	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का सूचक	मूल्य
1	घरेलू स्तर का कवरेज	96.9%
2	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की क्षमा	166.8 MT

स्रोत : सेवा स्तरीय बेंचमार्क रिपोर्ट, 2019

लोनी नगर हेतु अधिसूचित लैंडफिल स्थल मीरपुर हिन्दु में मौजूद है जो हिण्डनहवाई अड्डे के कारण लोनी नगर पालिका परिषद क्षेत्र से बाहर है। नए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम (एसडब्लूएम), 2016 के अनुसार, लैंडफिल स्थल हवाई अड्डे/एयरबेस से 20 कि.मी. दूर होगी।

पूर्व में भूमि भराव स्थल निठौरा में था जहां प्रारंभ में ठोस कचरा डाला जाता था। वाहनों की 6 श्रेणियां हैं जिनका उपयोग संग्रह उद्देश्यों के लिए किया जाता है यानी ट्रैक्टर ट्रॉली, टाटा एस, जे.सी.बी., डम्पर प्लेसर, पशु गाड़ियां और पोपलेन। जिनका उपयोग संग्रहण उद्देश्यों हेतु किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोग किये जाने वाले वाहनों की कुल संख्या 142 है।

तालिका 3.72 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	श्रमिक/सफाई कर्मी	1245
2	सफाई हेतु प्रयुक्त वाहन	142

स्रोत : सेवा स्तरीय बेंचमार्क रिपोर्ट, 2019

## 3.12.3.3.1 प्रमुख समस्याएँ/मुद्दे

लोनी नगर पालिका परिषद में, वर्ष 2012 तक ठोस अपशिष्ट हेतु कोई भी अधिसूचित डम्पिंग स्थल मौजूद नहीं था। वर्ष 2012 के पश्चात लोनी के लिए अधिसूचित डम्पिंग स्थल निर्धारित किया गया। यद्यपि, विभिन्न स्थानों पर गैर-संगठित/खुले डम्पिंग स्थान पर की जाती है जिससे आसपास रहने वाले लोगों के लिए लोनी पर्यावरण के निवासियों के लिए अस्वास्थ्यकर स्थितियां उत्पन्न करती हैं। साथ ही, पर्यावरण की बेहतरी हेतु प्लास्टिक आदि के पुनर्चक्रण के लिए योजना क्षेत्र में कोई भी पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग की सुविधा भी नहीं है।

## 3.12.4 विद्युत आपूर्ति

## 3.12.4.1 गाज़ियाबाद में विद्युत आपूर्ति

विद्युत आपूर्ति भौतिक मूलभूत ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है जो आर्थिक विकास, उत्पादकता एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश-विद्युत सुधार अधिनियम 1999 लागू होने से पूर्व, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (UP State Electricity Board, UPSEB) उत्तर प्रदेश में विद्युत के उत्पादन, क्रय-विक्रय, पारेषण एवं वितरण हेतु उत्तरदायी एक मात्र एजेंसी थी।

कई सुधारों के पश्चात, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Uttar Pradesh Power Corporation Ltd., UPPCL) बिजली की खरीद के लिए उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड क्रमशः थर्मल पावर एवं हाईड्रो पावर के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2003 में UPPCL को 5 वितरण कम्पनीज़ में विभाजित किया गया था। इनमें से, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गाज़ियाबाद में विद्युत वितरण हेतु उत्तरदायी है।

तालिका 3.73 गाज़ियाबाद में विद्युत कनेक्शन्स की संख्या

क्र.सं.	विनिर्देश	संख्या
1	घरेलू कनेक्शन्स	303373
2	आद्योगिक कनेक्शन्स	4909
3	व्यवसायिक कनेक्शन्स	37423
4	सड़क/मार्ग लाईटिंग कनेक्शन्स	51217
5	अन्य कनेक्शन्स	1277

स्रोत : भारत की जनगणना , 2011

तालिका 3.74 डासना में विद्युत कनेक्शन्स की संख्या

क्र.सं.	विनिर्देश	संख्या
1	घरेलू कनेक्शन्स	3600
2	आद्योगिक कनेक्शन्स	15
3	व्यवसायिक कनेक्शन्स	250
4	सड़क/मार्ग लाईटिंग कनेक्शन्स	750

स्रोत : भारत की जनगणना , 2011

## Annexure D : Dabarsi Waste Survey Report

VOLUME REPORT OF DABARSI DUMP YARD GHAZIABAD UTTAR PRADESH SURVEYED ON 13 NOV. 2025								
Sl. No.	Section From	Previous Section	Difference	Width	Cutting Volume			
					Area Sq. Meters	Previous Area	Average Sq. Meters	Volume Cubic Meters
1	3180031.704	-	0.000	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000
2	3180035.000	3180031.704	3.296	16.215	5.715	0.000	2.858	9.418
3	3180040.000	3180035.000	5.000	26.539	66.736	5.715	36.226	181.128
4	3180045.000	3180040.000	5.000	32.501	91.886	66.736	79.311	396.555
5	3180050.000	3180045.000	5.000	37.781	108.782	91.886	100.334	501.670
6	3180055.000	3180050.000	5.000	43.061	123.878	108.782	116.330	581.650
7	3180060.000	3180055.000	5.000	47.243	148.136	123.878	136.007	680.035
8	3180065.000	3180060.000	5.000	155.665	176.693	148.136	162.415	812.073
9	3180070.000	3180065.000	5.000	161.810	216.667	176.693	196.680	983.400
10	3180075.000	3180070.000	5.000	161.995	247.349	216.667	232.008	1160.040
11	3180080.000	3180075.000	5.000	162.178	257.850	247.349	252.600	1262.998
12	3180085.000	3180080.000	5.000	162.363	288.331	257.850	273.091	1365.453
13	3180090.000	3180085.000	5.000	162.549	312.563	288.331	300.447	1502.235
14	3180095.000	3180090.000	5.000	162.692	337.722	312.563	325.143	1625.713
15	3180100.000	3180095.000	5.000	160.846	395.598	337.722	366.660	1833.300
16	3180105.000	3180100.000	5.000	155.341	399.059	395.598	397.329	1986.643

VOLUME REPORT OF DABARSI DUMP YARD GHAZIABAD UTTAR PRADESH SURVEYED ON 13 NOV. 2025								
Sl. No.	Section From	Previous Section	Difference	Width	Cutting Volume			
					Area Sq. Meters	Previous Area	Average Sq. Meters	Volume Cubic Meters
17	3180110.000	3180105.000	5.000	151.082	404.630	399.059	401.845	2009.223
18	3180115.000	3180110.000	5.000	147.041	416.123	404.630	410.377	2051.883
19	3180120.000	3180115.000	5.000	143.000	462.401	416.123	439.262	2196.310
20	3180125.000	3180120.000	5.000	139.766	683.477	462.401	572.939	2864.695
21	3180130.000	3180125.000	5.000	137.883	926.549	683.477	805.013	4025.065
22	3180135.000	3180130.000	5.000	132.789	1162.887	926.549	1044.718	5223.590
23	3180140.000	3180135.000	5.000	127.408	1402.569	1162.887	1282.728	6413.640
24	3180145.000	3180140.000	5.000	122.028	1588.106	1402.569	1495.338	7476.688
25	3180150.000	3180145.000	5.000	116.648	1657.349	1588.106	1622.728	8113.638
26	3180155.000	3180150.000	5.000	111.608	1665.341	1657.349	1661.345	8306.725
27	3180160.000	3180155.000	5.000	107.126	1657.330	1665.341	1661.336	8306.678
28	3180165.000	3180160.000	5.000	102.644	1609.491	1657.330	1633.411	8167.053
29	3180170.000	3180165.000	5.000	98.239	1557.580	1609.491	1583.536	7917.678
30	3180175.000	3180170.000	5.000	94.672	1448.393	1557.580	1502.987	7514.933
31	3180180.000	3180175.000	5.000	91.105	1317.494	1448.393	1382.944	6914.718
32	3180185.000	3180180.000	5.000	86.272	1178.644	1317.494	1248.069	6240.345

VOLUME REPORT OF DABARSI DUMP YARD GHAZIABAD UTTAR PRADESH SURVEYED ON 13 NOV. 2025									
Sl. No.	Section From	Previous Section	Difference	Width	Cutting Volume				
					Area Sq. Meters	Previous Area	Average Sq. Meters	Volume Cubic Meters	
33	3180190.000	3180185.000	5.000	79.658	1028.029	1178.644	1103.337	5516.683	
34	3180195.000	3180190.000	5.000	73.044	857.224	1028.029	942.627	4713.133	
35	3180200.000	3180195.000	5.000	67.213	696.255	857.224	776.740	3883.698	
36	3180205.000	3180200.000	5.000	61.814	473.539	696.255	584.897	2924.485	
37	3180210.000	3180205.000	5.000	56.351	251.013	473.539	362.276	1811.380	
38	3180215.000	3180210.000	5.000	47.428	116.382	251.013	183.698	918.488	
39	3180220.000	3180215.000	5.000	36.689	44.341	116.382	80.362	401.808	
40	3180225.000	3180220.000	5.000	25.951	30.711	44.341	37.526	187.630	
41	3180230.000	3180225.000	5.000	15.213	15.130	30.711	22.921	114.603	
42	3180235.000	3180230.000	5.000	4.477	2.462	15.130	8.796	43.980	
43	3180237.079	3180235.000	2.079	0.010	0.005	2.462	1.234	2.564	
					<b>Total</b>			<b>129143.625</b>	



**MAS GROUP ENGINEERING CONSULTANT**  
Land Survey, Drone Survey, Quantity Survey, Structure,  
Service Designs & Construction Management  
tello.masgroup@gmail.com / +91-993389272  
H. No. A -143, Ekta Vihar, Jansour Extn. Badarpur, New Delhi - 110044



For MAS GROUP ENGINEERING CONSULTANT  
Authorized Signatory

## Volumetric Analysis Pipeline Road

**Project Site 1: Details of Pipeline Road Ghaziabad, UP Dumpsite**

Sl. No	Particulars	Details
1	Name of the dumpsite	Pipeline Dumpsite
2	City	Ghaziabad
3	District	Ghaziabad
4	State	Uttar Pradesh
5	Latitude and Longitude	28.667, 77.449
6	Size of the dumpsite	7.11 acres
7	Location Details	
		
8	Topographic map	
		
8	Recent photographs of the Site	
9	Nearest Town/City	Ghaziabad
10	Nearest Railway Station	Ghaziabad
11	Nearest Airport	New Delhi
12	Seismic Zone	II

### **SUMMARY OF VOLUMETRIC ANALYSIS of MSW Through Drone Survey at Pipeline Road Site in Ghaziabad**

<b>Volumetric Analysis of MSW at Pipeline Site as per Drone Survey</b>	
	<b>Pipeline Site</b>
Total Land Area (Sq. m)	28460.859 sq mt
Total Land Area (Sq. Km)	0.0285 sq km
Total Land Area (Acre)	7.03 acre
Volume of MSW at site (Cubic meter)	2,98,160 cum
Quantity of MSW at site (MT) @ density of 0.75 MT / cubic meter	2,23,620 MT
Avg. Height (meter)	10.5 meter
Total Area (Acre)	7.05 acre

अजय नारायण झा  
AJAY NARAYAN JHA, IAS



सचिव  
भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Secretary  
Government of India  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change

D.O.No. 22-19/2017-IA-III

3<sup>rd</sup> July, 2017

Dear Shri. Mishra,

Please refer to the D.O. letter No. Q-15014/2/2017-CPHEEO dated 14.02.2017 requesting to revisit the process of prior environmental clearance for Solid Waste Management Treatment and Processing Facilities.

2. The matter has been examined by the Expert Group constituted in the Ministry in its meeting held on 14.06.2017. The Expert Group has submitted its recommendations. The recommendations of the Expert Group have been examined in the Ministry.

3. The Environment Impact Assessment Notification, 2006 in the Schedule at item 7(i) mentions Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF) as Category B project for which State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) is empowered to appraise the project for grant of prior environmental clearance.

4. The municipal solid waste management involves various steps like door to door collection, segregation, composting, refuse derived fuel (RDF) making, waste to energy generation through waste to energy plants and disposal in scientific landfills. The above activities, except landfill site, if proposed as standalone activities are not covered under item 7(i) of EIA Notification, 2006, hence do not require prior environmental clearance. In case the activities of composting, RDF making and waste to energy plant (up to capacity of 15 MW) are proposed at an existing landfill site, they do not attract the provisions of the EIA Notification, 2006.

5. If the activities of incineration, RDF making and waste to energy plant are proposed along with the new site of solid waste disposal/ landfill, it is advisable to obtain an integrated prior environmental clearance for these projects.

contd...2/-




-2-

6. It has been seen that locating a landfill site or municipal solid waste disposal site is a contentious issue and there is a tendency to locate them far from the habitation but near forest, rivers, ponds, wetlands and low lying areas etc. which are ecologically sensitive sites and require proper environmental management. Since, the forests, rivers, ponds, wetland and low lying areas are critical from environmental point of view, it may not be appropriate to exempt this activity of municipal solid waste disposal site or landfill site from the requirement of prior environmental clearance.

7. I believe this will expedite the achievement of the objectives of the Swachh Bharat Mission.

With regards,

Yours sincerely,

  
(A.N. Jha)

Shri Durga Shankar Mishra  
Secretary,  
Ministry of Urban Development,  
Nirman Bhawan,  
New Delhi-110011.

## Annexure F: GNN's Request Letter for Loni Waste Facility

06/09/25



कार्यालय: नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम  
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION  
दूरभाष: 0120-2790425, 2713580 ई-मेल: gzb.nagar.nigam@gmail.com  
पत्रांक: 402/न0आ0/2025 दिनांक: 03/09/25

प्रेषक:  
नगर आयुक्त  
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

विषय: लोनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हेतु ग्राम मीरपुर तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद की 8.2650 हे० भूमि को गाजियाबाद नगर निगम को टोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक आयुक्त महोदय, मेरठ मण्डल, मेरठ के कार्यालय पत्र सं०-381/एस.टी./आयुक्त/मेरठ/2025 दिनांक 27.08.2025 एवं संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र० शासन के पत्र सं०-5287/नौ-5-2025-कम्प्यूटर नं०-1959895 दिनांक 21.08.2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा संख्या-124 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापक जनहित के दृष्टिगत लोनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हेतु ग्राम मीरपुर तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा नं० 523/4.3350 हे० व खसरा नं० 526/3.9300 हे० कुल क्षेत्रफल 8.2650 हे० की भूमि को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से क्लस्टर वेस्ट टोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत किये जाने के लिए शासन द्वारा सहमति प्रदान की गयी जिसके क्रम में उक्त प्लांट को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तगत किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार लोनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हेतु ग्राम मीरपुर तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा नं०-523/4.3350हे० व खसरा नं०-526/3.9300हे० कुल क्षेत्रफल 8.2650हे० तथा उस पर निर्मित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट एवं समस्त सम्बन्धित अभिलेखों को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तगत करने हेतु गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से श्री जंगबहादुर यादव, श्री अयनीन्द्र कुमार अपर नगर आयुक्त व डॉ.मिथलेश कुमार नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नामित किया जाता है। आपसे सादर अनुरोध है कि हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यद्योक्त।

भवदीय  
(विक्रमादित्य सिंह मलिक)  
अर्थ.स.एस.  
नगर आयुक्त

प्रतिनिधि:-1.श्री जंगबहादुर यादव व अयनीन्द्र कुमार अपर नगर आयुक्त को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।  
2.श्री.मिथलेश कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

03/09/25  
(विक्रमादित्य सिंह मलिक)  
अर्थ.स.एस.  
नगर आयुक्त

**Annexure G: Permission granted to GNN by Joint Secretary, Government of Uttar Pradesh for Loni Waste Facility**

समयबद्ध / महत्वपूर्ण  
संख्या: 5287 / नी-5-2025 - Comp. No.: 1959895

प्रेषक,  
कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
आयुक्त,  
मेरठ मण्डल, मेरठ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2025

विषय: लोनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हेतु ग्राम गीरपुर तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद की 8.2650 हे० भूमि को गाजियाबाद नगर निगम को होस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या-674/एस०टी०/आयुक्त/मेरठ/2025 दिनांक 16.08.2025 का सदरार्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लोनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हेतु ग्राम गीरपुर तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा नं० 523/4.3350 हे० व खसरा नं० 526/3.9300 हे० कुल क्षेत्रफल 8.2650 हे० की भूमि को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर वेस्ट होस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा संख्या-124 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापक जनहित के दृष्टिगत लोनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हेतु ग्राम गीरपुर तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा नं० 523/4.3350 हे० व खसरा नं० 526/3.9300 हे० कुल क्षेत्रफल 8.2650 हे० की भूमि को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर वेस्ट होस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत किये जाने संबंध में एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक, यथोपरि।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
- 2- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
- 5- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनापद-गाजियाबाद।

( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

## Annexure H: Loni Waste Facility - Copy of the e-tender


28

ANNEXURE H

उपस्थित हो सकते हैं। पात्रता के लिए [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in) पर जाएं।  
प्राचार्या

 <b>GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION</b> Navyug Market, Opp. Old Bus Stand Ghaziabad 201001, Uttar Pradesh E-mail: <a href="mailto:gzb.nagar.nigam@gmail.com">gzb.nagar.nigam@gmail.com</a> Website: <a href="http://www.ghaziabadnagarnigam.in">www.ghaziabadnagarnigam.in</a>	
निविदा नोटिस संख्या 2334/स्वा0/2025-26	
दिनांक 08.09.2025	
<b>E-TENDER</b>	
Name of the Project	Selection of contractors for Supply, Installation, Commissioning of 2000 TPD Municipal Solid Waste extendable up to 3000 TPD (Wet & Dry) processing plant at Ghaziabad and It's Operation & Maintenance for a period of Minimum 07 Years.
Earnest Money Deposit	Rs. 8,00,000 to be paid on E-tender website i.e. <a href="https://etender.up.nlc.in">https://etender.up.nlc.in</a>
Tender Fee	Rs. 11800/- including GST to be paid on E-tender website i.e. <a href="https://etender.up.nlc.in">https://etender.up.nlc.in</a>
Bid System	Two Bid System (Technical & Financial)
Name of the Authority & Official	Municipal Commissioner, Municipal Corporation Ghaziabad, <a href="mailto:Gzb.nagar.nigam@gmail.com">Gzb.nagar.nigam@gmail.com</a>
Bid Validity Period	180 Days
Bid Currency	INR
<b>Key Dates</b>	
Uploading of Bid	08.09.2025
Pre-bid Date and Venue	16.09.2025 01:00 PM, H.O. Ghaziabad Nagar Nigam
Last Date of bid submission on e-portal	23.09.2025 02:00 PM
Date of Technical bid opening	23.09.2025
Date of Financial bid opening	To be informed at later stage
 <b>Municipal Commissioner</b> <b>Municipal Corporation Ghaziabad</b>	

Annexure I : Loni Waste Facility site included in Master Plan 2031



### आयुक्त महोदय, मेरठ मण्डल, मेरठ।

कृपया अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21 22 फरवरी 2018 को आयोजित किये गये निवेशक शिखर सम्मेलन में गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत उत्सर्जित होने वाले टोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु एम.ओ.यू. के क्रम में ग्राम-गालान्द में मैसर्स जी0सी0 इन्टरनेशनल द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना/संचालन का कार्य प्रारम्भ किया जाना था। उपरोक्त एम.ओ.यू. के अनुसार मैसर्स जी0सी0 इन्टरनेशनल द्वारा 2300 टी.पी.डी. की कार्य क्षमता का एक वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करना था। चूंकि गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत टोस अपशिष्ट का उत्सर्जन लगभग 1600-1800 मीट्रिक टन है। निगम सीमान्तगत प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले टोस अपशिष्ट के निस्तारण के साथ ही जनपद की अन्य नगरीय निकायों यथा मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी, खौड़ा, निवाड़ी, पतला, फरीदनगर, डामना एवं जनपद हापुड़ सहित बाबूगढ़ व पिलखुवा क्षेत्र की निकाय क्षेत्र अन्तर्गत उत्सर्जित होने वाले टोस अपशिष्ट का निस्तारण भी टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों का अनुपालन करते हुए मैसर्स जी.सी. इन्टरनेशनल द्वारा स्थापित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पर ही किये जाना प्रस्तावित था, जिस हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी 33.11 एकड़ भूमि के अतिरिक्त 11.14 एकड़ भूमि नगर निगम द्वारा कृषकों से क्रय करते हुए ग्राम गालान्द एवं पिपलैहड़ा में नगर निगम के पास वर्तमान में उपलब्ध कुल 44.25 एकड़ भूमि मैसर्स जी.सी. इन्टरनेशनल फर्म को उपलब्ध करायी गयी। ग्राम गालान्द स्थित निगम स्वामित्व की 44.25 एकड़ भूमि पर दिनांक 20.11.2021 से निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए 8 फीट ऊंचाई में, 180 मीटर लम्बी चाहरदीवारी का निर्माण कराया गया, दिनांक 24.11.2021 को प्रातः 9:30 बजे नगर निगम की टीम द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही 300-400 अज्ञात लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गयी तथा नगर निगम द्वारा बनायी गयी 8 फीट ऊंचाई में, 180 मीटर लम्बी चाहरदीवारी के निर्माण को ध्वस्त कर दिया तथा मौके पर निर्माण कार्य के उपयोग में लाये जा रहे वाहनों यथा जे.सी.बी. संख्या-यू.पी.-14 जे टी-7384 का शीशा व टैक्टर संख्या यू.पी.-14 जी टी-1082 की हैड लाइटस आदि को लाठी डण्डों से क्षतिग्रस्त करते हुए टैट, कुर्सियां इत्यादि को तोड़ दिया गया जिस कारण वर्तमान समय तक उक्त स्थल पर कार्य आरंभ नहीं हो सका है।

गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर के टोस अपशिष्ट का निस्तारण पूर्व से ग्राम भिक्कनपुर में किया जा रहा था किन्तु वहां भी कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा कई बार संवाद स्थापित कर ग्रामवासियों को प्रोसेसिंग साईट की आवश्यकता के सम्बन्ध में समझाने का प्रयास किया गया वर्तमान समय में नगर निगम गाजियाबाद सीमान्तगत प्रतिदिन 1600-1800 एम0टी0 टोस अपशिष्ट उत्सर्जित होता है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर के टोस अपशिष्ट का निस्तारण पूर्व से ग्राम भिक्कनपुर में किया जा रहा है किन्तु वहां विकास संघर्ष समिति गाजियाबाद एवं क्षेत्रवासियों के विरोध तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद विचाराधीन होने के कारण ग्राम भिक्कनपुर में वर्तमान समय में टोस अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया जा सका, जिस कारण गाजियाबाद नगर निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया अपनाकर ग्राम ढबारसी में प्रोसेसिंग स्थल का चयन किया गया है। उक्त स्थल पर निजी फर्म द्वारा बाउण्ड्रीवॉल मय प्रोसेसिंग हेतु मशीनरी स्थापित कर, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTE (Consent to Established) भी प्राप्त कर लिया गया है, किन्तु यहां पर भी भारी विरोध होने के कारण से उक्त प्लांट को दिनांक 14.06.2025 तक क्रियाशील नहीं किया जा सका किन्तु दिनांक 15.6.2025 को पुलिस प्रशासन से सहयोग से दिनांक 15.06.2025 से उक्त प्लांट को क्रियाशील कर दिया गया है, किन्तु ग्राम की सोसायटी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में जनहित याचिका 1584/2025 ढबारसी ग्राम विकास समिति व उ0प्र0 राज्य व अन्य दाखिल की गयी है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है। कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा स्वार्थवश सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण उनके विरुद्ध ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित थाने में तहरीर दी गयी थी। प्रश्नगत स्थल पर टोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु पर्याप्त नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर टोस अपशिष्ट का निस्तारण कराया जा रहा है। यदि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश अथवा अन्य किसी कारण से ग्राम ढबारसी स्थित प्रोसेसिंग प्लांट पर रोक लग जाती है जब ऐसी स्थिति में गाजियाबाद नगर निगम के पास टोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है।

गाजियाबाद नगर निगम ने लिंगेसी वेस्ट का सफलतापूर्वक वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किया गया यथा ग्राम मोरटा में 05 लाख मीट्रिक टन, ग्राम भिक्कनपुर में 2.72 लाख मीट्रिक टन, इन्दिरापुरम में 1.67 लाख मीट्रिक टन और प्रताप विहार में 05 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निस्तारण करते हुए वहां 193643.53 वर्ग मीटर मुक्त हुई भूमि पर 3,43,461/- पौधों को सफलतापूर्वक रोपित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 03.11.2012 को गजट प्रकाशन के माध्यम से उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के पक्ष में किया गया है। नगर पालिका परिषद लोनी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम मीरपुर हिन्दु तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा नं० 523/4.3350हे० व खसरा नं०-526/3.9300हे० कुल क्षेत्रफल 8.2650हे० पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु अंकन 1728 लाख रुपये की धनगति स्वीकृत करने हुए कार्यदायी संस्था सी.एण्ड.डी.एस. द्वारा दिनांक 14.06.2020 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट का निर्माण कार्य आरंभ किया गया तथा दिनांक 15.09.2022 को कार्यदायी संस्था सी.एण्ड.डी.एस. द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण किया गया किन्तु कार्य पूर्ण होने के 03 वर्ष पश्चात भी उक्त प्लांट क्रियाशील नहीं हो पाया है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा क्लस्टर बेस्ड मॉडल के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति यथा सी.बी.जी प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इत्यादि द्वारा टोस अपशिष्ट का निस्तारण किये जाने की योजना है जिस आधार पर गाजियाबाद नगर निगम अपने ट्रांस हिण्डन स्थित 03 जोन के टोस अपशिष्ट सहित लोनी के टोस अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकेगा। प्रश्नगत भूमि पर न्यूनतम 1500 टी.पी.डी व अधिकतम 2000 टी.पी.डी. टोस अपशिष्ट का निस्तारण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नगर पालिका लोनी में टोस अपशिष्ट के उत्सर्जन की मात्रा 350-400 टी.पी.डी. है इसलिए वित्तीय एवं शासकीय हित में प्लांट की क्षमतानुसार नगर निगम क्षेत्र के टोस अपशिष्ट के निस्तारण करने की आवश्यकता है। उ०प्र० शासन द्वारा घोषण की गयी है कि नगर पालिका परिषद लोनी, छोड़ा मकनपुर, मुरादनगर एवं नगर पंचायत डासना सहित 22 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाया जायेगा इस सम्बन्ध में नगर पालिकाओं/ग्राम पंचायतों को गाजियाबाद नगर निगम में विलय/नगर निगम बनाये जाने हेतु सर्वे आदि की कार्यवाही प्रगतिशील है जिस कारण उक्त भूमि भविष्य में 10 वर्ष से अधिक समय के लिए टोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उपयोगी सिद्ध होगी।

अतः उपरोक्तानुसार लोनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम मीरपुर तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा नं०-523/4.3350हे० व खसरा नं०-526/3.9300हे० कुल क्षेत्रफल 8.2650हे० को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तगत करने हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग को भेजने हेतु सादर प्रेषित है।

*PM*  
14/08/25  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद लोनी

*RVS*  
14/8/25  
प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय/  
अपर जिलाधिकारी

*Sir, it appears in public interest to handover the plant along with the facility.*  
नगर आयुक्त  
गाजियाबाद नगर निगम।

*[Signature]*  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद

*श्री. नासिर मेहता*

*[Signature]*  
(हषिकेश भास्कर यशोद)  
आयुक्त,  
मेरठ मण्डल, मेरठ।

## कार्यालय: आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

पत्रांक: 674 /एस.टी./आयुक्त/मेरठ/2025

दिनांक: 16-08-2025

प्रेषक,

आयुक्त  
मेरठ मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
नगर विकास विभाग,  
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

**विषय:** लोनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम मीरपुर तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा नं0-523/4.3350हे0 व खसरा नं0-526/3.9300हे0 कुल क्षेत्रफल 8.2650हे0 को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर वेस्ट टोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21-22 फरवरी 2018 को आयोजित किये गये निवेशक शिखर सम्मेलन में गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत उत्सर्जित होने वाले टोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु एम.ओ.यू. के क्रम में ग्राम-गालान्द में मैसर्स जी0सी0 इन्टरनेशनल द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना/संचालन का कार्य प्रारम्भ किया जाना था। उपरोक्त एम.ओ.यू. के अनुसार मैसर्स जी0सी0 इन्टरनेशनल द्वारा 2300 टी.पी.डी. की कार्य क्षमता का एक वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करना था। चूंकि गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत टोस अपशिष्ट का उत्सर्जन लगभग 1600-1800 मीट्रिक टन है। निगम सीमान्तगत प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले टोस अपशिष्ट के निस्तारण के साथ ही जनपद की अन्य नगरीय निकायों यथा मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी, खौड़ा, निवाड़ी, पतला, फरीदनगर, डासना एवं जनपद हापुड़ सहित बाबूगढ़ व पिलखुवा क्षेत्र की निकाय क्षेत्र अन्तर्गत उत्सर्जित होने वाले टोस अपशिष्ट का निस्तारण भी टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों का अनुपालन करते हुए मैसर्स जी.सी. इन्टरनेशनल द्वारा स्थापित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पर ही किये जाना प्रस्तावित था, जिस हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी 33.11 एकड़ भूमि के अतिरिक्त 11.14 एकड़ भूमि नगर निगम द्वारा कृषकों से क्रय करते हुए ग्राम गालान्द एवं पिपलैहड़ा में नगर निगम के पास वर्तमान में उपलब्ध कुल 44.25 एकड़ भूमि मैसर्स जी.सी. इन्टरनेशनल फर्म को उपलब्ध करायी गयी। ग्राम गालान्द स्थित निगम स्वामित्व की 44.25 एकड़ भूमि पर दिनांक 20.11.2021 से निर्माण कार्य प्रारम्भ करते हुए 8 फीट ऊंचाई में, 180 मीटर लम्बी चाहरदीवारी का निर्माण कराया गया, दिनांक 24.11.2021 को प्रातः 9:30 बजे नगर निगम की टीम द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही 300-400 अज्ञात लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गयी तथा नगर निगम द्वारा बनायी गयी 8 फीट ऊंचाई में, 180 मीटर लम्बी चाहरदीवारी के निर्माण को ध्वस्त कर दिया तथा मौके पर निर्माण कार्य के उपयोग में लाये जा रहे वाहनों यथा जे.सी.बी. संख्या-यू.पी.-14 जे टी-7384 का शीशा व टैक्टर संख्या यू.पी.-14 जे टी-1082 की हेड लाइट्स आदि को लाठी डण्डों से क्षतिग्रस्त करते हुए टैट, कुर्सियां इत्यादि को तोड़ दिया गया जिस कारण वर्तमान समय तक उक्त स्थल पर कार्य आरंभ नहीं हो सका है।

गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर के टोस अपशिष्ट का निस्तारण पूर्व से ग्राम भिक्कनपुर में किया जा रहा था किन्तु वहां भी कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा कई बार संवाद स्थापित कर ग्रामवासियों को प्रोसेसिंग साईट की आवश्यकता के सम्बन्ध में समझाने का प्रयास किया गया वर्तमान समय में नगर निगम गाजियाबाद सीमान्तगत प्रतिदिन 1600-1800 एम0टी0 टोस अपशिष्ट उत्सर्जित होता है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर के टोस अपशिष्ट का निस्तारण पूर्व से ग्राम भिक्कनपुर में किया जा रहा है किन्तु वहां विकास संघर्ष समिति गाजियाबाद एवं क्षेत्रवासियों के विरोध तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद विचाराधीन होने के कारण ग्राम भिक्कनपुर में वर्तमान समय में टोस अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया जा सका, जिस कारण गाजियाबाद नगर निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया अपनाकर ग्राम ढवारसी में प्रोसेसिंग स्थल का चयन किया गया है। उक्त स्थल पर निजी फर्म द्वारा बाउण्ड्रीवॉल मय प्रोसेसिंग हेतु मशीनरी स्थापित कर, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTE (Consent to Established) भी प्राप्त कर लिया गया है, किन्तु यहां पर भी भारी विरोध होने के कारण से उक्त प्लांट को दिनांक 14.06.2025 तक क्रियाशील नहीं किया जा सका किन्तु दिनांक 15.6.2025 को पुलिस प्रशासन से सहयोग से दिनांक 15.06.2025 से उक्त प्लांट को क्रियाशील कर दिया

(Signature of the Officer)


गया है, किन्तु ग्राम की सोसायटी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में जनहित याचिका 1584/2025 ढवारसी ग्राम विकास समिति व उ0प्र0 राज्य व अन्य दाखिल की गयी है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है। कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा स्वार्थवश सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण उनके विरुद्ध ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित थाने में तहरीर दी गयी थी। प्रश्नगत स्थल पर टोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु पर्याप्त नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर टोस अपशिष्ट का निस्तारण कराया जा रहा है। यदि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश अथवा अन्य किसी कारण से ग्राम ढवारसी स्थित प्रोसेसिंग प्लांट पर रोक लग जाती है जब ऐसी स्थिति में गाजियाबाद नगर निगम के पास टोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है।

गाजियाबाद नगर निगम ने लिंगेसी वेस्ट का सफलतापूर्वक वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किया गया यथा ग्राम मोरटा में 05 लाख मीट्रिक टन, ग्राम भिक्कनपुर में 2.72 लाख मीट्रिक टन, इन्दिरापुरम में 1.67 लाख मीट्रिक टन और प्रताप विहार में 05 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निस्तारण करते हुए वहां 193643.53 वर्ग मीटर मुक्त हुई भूमि पर 3,43,461/- पौधों को सफलतापूर्वक रोपित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 03.11.2012 को गजट प्रकाशन के माध्यम से उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पक्ष में किया गया है। नगर पालिका परिषद लोनी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम मीरपुर हिन्दु तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा नं0-523/4.3350हे0 व खसरा नं0-526/3.9300हे0 कुल क्षेत्रफल 8.2650हे0 पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु अंकन 1728 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करते हुए कार्यदायी संस्था सी.एण्ड. डी.एस. द्वारा दिनांक 14.06.2020 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट का निर्माण कार्य आरंभ किया गया तथा दिनांक 15.09.2022 को कार्यदायी संस्था सी.एण्ड.डी.एस. द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण किया गया किन्तु कार्य पूर्ण होने के 03 वर्ष पश्चात भी उक्त प्लांट क्रियाशील नहीं हो पाया है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा क्लस्टर वेस्ट मॉडल के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति यथा सी.बी.जी प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इत्यादि द्वारा टोस अपशिष्ट का निस्तारण किये जाने की योजना है जिस आधार पर गाजियाबाद नगर निगम अपने ट्रांस हिण्डन स्थित 03-जोन के टोस अपशिष्ट सहित लोनी के टोस अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकेगा। प्रश्नगत भूमि पर न्यूनतम 1500 टी.पी.डी व अधिकतम 2000 टी.पी.डी. टोस अपशिष्ट का निस्तारण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नगर पालिका लोनी में टोस अपशिष्ट के उत्सर्जन की मात्रा 350-400 टी.पी.डी. है इसलिए वित्तीय एवं शासकीय हित में प्लांट की क्षमतानुसार नगर निगम क्षेत्र के टोस अपशिष्ट के निस्तारण करने की आवश्यकता है। उ0प्र0 शासन द्वारा घोषणा की गयी है कि नगर पालिका परिषद लोनी, खोड़ा मकनपुर, मुरादनगर एवं नगर पंचायत डसन सहित 22 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाया जायेगा इस सम्बन्ध में नगर पालिकाओं/ग्राम पंचायतों को गाजियाबाद नगर निगम में विलय/नगर निगम बनाये जाने हेतु सर्वे आदि की कार्यवाही प्रगतिशील है जिस कारण उक्त भूमि भविष्य में 10 वर्ष से अधिक समय के लिए टोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उपयोगी सिद्ध होगी। उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लोनी, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/अपर जिलाधिकारी, नगर आयुक्त एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा ग्राम मीरपुर तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा नं0-523/4.3350हे0 व खसरा नं0-526/3.9300हे0 कुल क्षेत्रफल 8.2650हे0 एवं उस पर निर्मित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तगत करने हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी को प्रांप्त किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार लोनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम मीरपुर तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा नं0-523/4.3350हे0 व खसरा नं0-526/3.9300हे0 कुल क्षेत्रफल 8.2650हे0 एवं उस पर निर्मित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तगत करने हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।  
संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय



(हृषिकेश भास्कर यशोद)

आयुक्त

मेरठ मण्डल, मेरठ।

# कार्यालय नगर पालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक सं०- 06 /न०पा०परि०लोनी-एस०डब्ल्यू०एम०/2023-24 दिनांक 05 अप्रैल 2023

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
यूनिट-31, सी० एण्ड डी० एस०,  
उत्तर प्रदेश जल निगम, गाजियाबाद।

**विषय:-सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट, 03 नग एम०आर०एफ० सेन्टर एवं बाऊण्ड्रीवॉल तथा पूजा कालोनी अन्त्येष्टि स्थल के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं०-109/कार्य-14/02/दिनांक 16.01.2023, पत्र सं०-110/कार्य-14/02 दिनांक 16.01.2023 के साथ संलग्न पत्र सं०-131/कार्य-36/02 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट (बाऊण्ड्रीवॉल, टिन शैड, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक), 03 नग एम०आर०एफ० सेन्टर व बाऊण्ड्रीवॉल तथा पूजा कालोनी अन्त्येष्टि स्थल को हस्तगत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में निकाय द्वारा निरीक्षण उपरान्त बतायी गयी कमियों के निस्तारण के सम्बन्ध में पत्र सं०-570 /कार्य-36/03 दिनांक 18.03.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि निकाय के पत्रों के इंगित कमियों का निराकरण/परिपालन करा लिया गया है, को हस्तगत हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में निकाय के कार्यालय पत्र सं०-3045/न०पा०परि० लो-एस० डब्ल्यू० एम०/2023-24 दिनांक 01 अप्रैल 2023 के क्रम में निकाय के फिटर एवं अवर अभियन्ता द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट (बाऊण्ड्रीवॉल, टिन शैड, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक), 03 नग एम०आर०एफ० सेन्टर व बाऊण्ड्रीवॉल तथा पूजा कालोनी अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की संयुक्त जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कार्य प्रथम दृष्टया संतोषजनक पाया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसमें मौके पर पाया गया है कि विद्युत सम्बन्धी कोई भी कार्य नहीं हुआ है तथा आपके द्वारा भी यह अवगत कराया गया है कि विद्युत का कार्य नहीं किया गया है तथा अपने पत्र सं०-592/कार्य-14/03 दिनांक 24.03.2023 के द्वारा भी अवगत कराया गया है कि विद्युतीकरण का कार्य प्लान्ट की स्थापना पश्चात कराया जायेगा।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट (बाऊण्ड्रीवॉल, टिन शैड, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक) एवं 03 नग एम०आर०एफ० सेन्टर व बाऊण्ड्रीवॉल तथा पूजा कालोनी अन्त्येष्टि स्थल, को इस निकाय द्वारा हस्तगत की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

सूचना सादर प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

(डॉ० शैलेंद्र कुमार सिंह)

अधिसासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, लोनी  
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि-अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, गाजियाबाद/प्रशासक, नगर पालिका परिषद, लोनी को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

अधिसासी अधिकारी 5/4/23

नगर पालिका परिषद, लोनी

गाजियाबाद

**OFFICE OF THE PROJECT MANAGER UNIT-31 C. & D.S. U.P. JAL NIGAM GHAZIABAD**

**Handing Over Note**

1.	Name of Work	-	Construction of Solid waste Management Plant, Loni, Ghaziabad
2.	Construction Agency	-	C. & D.S. U.P. Jal Nigam Unit-31, Ghaziabad.
3.	G.O. No. & Date	-	4740/नौ-5-2020-418सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ दि० 21.10.2020
4.	Sanctioned Cost	-	Rs.1728.00 Lacs
5.	Date of Start	-	14-06-2020
6.	Date of Completion	-	15-09-2022

Certified that the work of Construction of Solid waste Management Plant, Loni, District Ghaziabad has been completed satisfactorily. Above mentioned works are taken over.

**Handed Over**

**Taken Over**

  
 (Arjun singli)  
 Resident Engineer  
 Unit-31 C. & D.S.  
 U.P. Jal Nigam Ghaziabad

  
 (Rajneesh Jaiswal)  
 Project Manager  
 Unit -31 C. & D.S.  
 U.P. Jal Nigam Ghaziabad

  
 अधिकारी  
 नगर पालिका परिषद लोनी  
 गजियाबाद





## :: निरीक्षण आख्या ::

कृपया आपके कार्यालय आदेश संख्या-3045/न0पा0परि0लो0-एस0डब्ल्यू0एम0/ 2023-24 दिनांक 01 अप्रैल 2023 का अवलोकन करने का कष्ट करे, इस ओर आप द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट. 03नग एम0आर0एफ0 सेंटर एवं वाउण्ड्रीवॉल तथा पूजा कॉलोनी अन्त्येष्टि स्थल हस्तगन किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या चाही गई है, जिसमें स्थल पर पाई गई कमियों को दूर करने एवं इंगित कमियों का निराकरण एवं परिपालन करने हेतु निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या विन्दुवार निम्नवत् है:-

1-सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट:-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय पाया गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट के अन्दर पूर्व में जो कमियां जैसे-टीनशीड, टॉयलेट ब्लाक, धर्मकोटा, टैंक एवं फर्स में इंगित कमियों का निराकरण मौके पर करा दिया गया है तथा मौके पर कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक प्रतीत होती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट के मौके की फोटोप्रति संलग्न है।



Handwritten signature/initials.


Handwritten signature/initials.

निकाय के पत्र संख्या-265/न0पा0परि0लो0- एस0डब्ल्यू0एम0/2023-24 दिनांक 03 जनवरी 2023 के द्वारा परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-31 सीएण्डडीएस जल निगम, उ0प्र0(नगरीय) गाजियाबाद को कमियों को दूर करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके के कम में अवगत कराना है, कि सम्बन्धित विभाग द्वारा भी अपने कार्यालय पत्रांक-109/कार्य-14/02 दिनांक 16.01.2023 के द्वारा कमियों का निराकरण करा दिया गया था, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

- उपरोक्त भीरपुर हिन्दू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट में विजली व ट्रान्सफार्मर एवं 200 के0वी0 जनरेटर का कार्य अभी नहीं कराया गया है, जल निगम, गाजियाबाद द्वारा यह बताया गया है, कि यदि उपरोक्त कार्य अभी करा दिया जाता है, तो चोरी होने की सम्भावना बनी रहेगी, जैसे ही प्लान्ट का संचालन शुरू किया जायेगा, इसके पूर्व ही उपरोक्त कार्य को करा दिया जायेगा।

### 2-03नग एम0आर0एफ0 सेंटर




1-मौ0 सादुल्लाबाद में एम0आर0सेंटर-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-31 सीएण्डडीएस जल निगम, उ0प्र0(नगरीय) गाजियाबाद द्वारा एम0आर0एफ0 सेंटर का निर्माण कराया गया है, जिसमें कमियां जैसे-मिट्टी भराव, गेट की ऊँचाई एवं सिलिंग फैन लगे थे, उन कमियों को दूर करने हेतु पूर्व में अपर जिलाधिकारी(प्र0) गाजियाबाद/प्रशासक महोदया, नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा निर्देश दिये गये थे, जिसमें मौके का निरीक्षण किया गया एवं जो भी कमियां थी जैसे-मिट्टी भराव, गेट की ऊँचाई एवं सिलिंग फैन लगे उन्हें ठीक करा दिया गया है तथा मौके पर कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक प्रतीत होती है। जिसकी मौके की फोटोप्रति संलग्न है।



2

21


2-मौ0 रामविहार लोनी कन्टेनर डिपो के पास में एम0आर0सेंटर:-इस समय में अवगत कराना है, कि परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-31 सीएण्डडीएस जल निगम, उ0प्र0(नगरीय) गाजियाबाद द्वारा एम0आर0एफ0सेंटर का निर्माण कराया गया है, जिसमें मौके का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक प्रतीत होती है। जिसकी मौके की फोटोप्रति संलग्न है।




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3-मौ0 रामेश्वर पार्क लोनी बिजली घर के पास एम0आर0सेंटर:-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-31 सीएण्डडीएस जल निगम, उ0प्र0(नगरीय) गाजियाबाद द्वारा एम0आर0एफ0सेंटर का निर्माण कराया गया है तथा मौके पर कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक प्रतीत होती है। जिसकी मौके की फोटोप्रति संलग्न है।



3-पूजा कॉलोनी लोनी अन्वेषि स्थल:-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं मौके पर कार्य की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक प्रतीत होती है। जिसकी मौके की फोटोप्रति संलग्न है।



संयुक्त जांच आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

(दिगम्बर सिंह भण्डारी)

फिटर 5/14/23

नगर पालिका परिषद लोनी  
गाजियाबाद

(मनोज कुमार)

अवर अभियन्ता

नगर पालिका परिषद लोनी  
गाजियाबाद



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक यूनिट-31,  
कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज  
उत्तर प्रदेश जल निगम  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)



AN ISO 9001:2015 Organization

एस० बी०-९०, शास्त्री नगर गाजियाबाद - 201002

प्रधान कार्यालय : टी०सी०-३८ वी०, विभूतिखण्ड, इण्डियन ऑयल के पास, गोमतीनगर, लखनऊ।  
ई-मेल : [cdspmunit31@gmail.com](mailto:cdspmunit31@gmail.com)  
Visit us at : [www.cdsupjn.org](http://www.cdsupjn.org)

पत्रांक 592 / कार्य-14 / 03

दिनांक 24/03/2023

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद लोनी  
गाजियाबाद।

**विषय : सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट, लोनी जनपद गाजियाबाद के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट, लोनी जनपद गाजियाबाद के प्रस्तावित समस्त सिविल कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं तथा विद्युतिकरण का कार्य प्लान्ट की स्थापना पश्चात् कराया जायेगा, जो कि हस्तान्तरण प्रपत्र में भी उल्लिखित है।

अतः उक्त योजना को हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश जायसवाल)  
परियोजना प्रबन्धक

पुनः भौतिक भूमि कब्जा पत्र

अधिकांश अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी के पत्र सं० 624/न०पा०प०/ सो०वे०मे०योजना/2014-15 दिनांक 12-05-2014 के अनुरोध पत्र पर आज दिनांक 03-07-2014 को लोनी सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम मीरपुर तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा नं० 523 क्षेत्रफल 4.3350 हैक्टेयर एवम खसरा नं० 526 क्षेत्रफल 3.9300 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 8.2650 हैक्टेयर भूमि का राजस्व विभाग द्वारा उप जिलाधिकारी लोनी/ परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-31, कन्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम, एस० एफ०39, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद/नायब तहसीलदार लोनी/ अधिकांश अधिकारी नगरपालिका परिषद लोनी/प्रभारी निरीक्षक थाना लोनी मय पी०ए०सी० बल की उपस्थिति में चिन्हीकरण किया गया। एवम मौके पर कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-31, कन्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम, एस०एफ०39, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद को उपरोक्त योजना के निर्माण हेतु मौके पर उपरोक्त भूमि का कब्जा दिया गया।


पुनः आज दिनांक 08-04-2020 को उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि का मौके पर अधिकांश अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी एवं उप जिलाधिकारी लोनी द्वारा परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-31, कन्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम, गाजियाबाद को भौतिक भूमि का कब्जा दिया गया। वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु लॉकडाउन लागू है, लॉकडाउन समाप्ति के उपरान्त मौके पर निर्माण कार्य की कार्यवाही की जानी सम्भव है।

  
08/04/2020

(उमेश कुमार शुक्ला)  
परियोजना प्रबन्धक  
यूनिट-31, कन्ट्रक्शन एण्ड डिजायन  
सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल  
निगम, गाजियाबाद

  
08/04/2020

(शालिनी गुप्ता)  
अधिकांश अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, लोनी  
(गाजियाबाद)


  
08/04/2020

(खालिद अंजुम)  
उप जिलाधिकारी  
लोनी


(कब्जा लेने वाले का नाम, पदनाम व विभाग) (कब्जा देने वाले का नाम, पदनाम व विभाग) (कब्जा देने वाले का नाम, पदनाम व विभाग)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- निदेशक स्थानीय निकाय, निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- जिलाधिकारी गाजियाबाद।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
- 5- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-31, कन्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम गाजियाबाद।
- 6- अधिकांश अधिकारी नगरपालिका परिषद लोनी।

  
08/04/2020

उप जिलाधिकारी  
लोनी

  
08/04/2020

## सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट सम्बन्धी विवरण

माह:- जनवरी 2020

वर्ष 2019-20

क्र०सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	कार्यदायी संस्था जिसे भूमि का कब्जा दिया गया है/ कब्जे का दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गाजियाबाद	नगर पालिका परिषद, लोनी	हाँ	मीरपुर हिन्दु तहसील लोनी	8.2650	परियोजना प्रबन्धक यूनिट-31, कन्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसिज, उत्तर प्रदेश जल निगम गाजियाबाद / दिनांक 03-07-2014	इस ओर अवगत कराना है कि यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट (ग्राम मीरपुर हिन्दु में) निर्माण हेतु निकाय को अंकन-5,31,57,000.00 राशि प्राप्त हुई थी, जो कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक यूनिट-31, कन्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसिज, उत्तर प्रदेश जल निगम गाजियाबाद को माह सितम्बर 2009 में धनराशि दी जा चुकी है एवं दिनांक 31-04-2018 को ब्याज की धनराशि अंकन-1,73,32,022.00 रुपये निकाय के पास है। इस धनराशि को निकाय द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा-दी जायेगी, एवं ग्राम मीरपुर में आम नागरिकों के विरोध होने के कारण ज-अहित में लोनी सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट का निर्माण नहीं किया गया है।

  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद, लोनी  
 (गाजियाबाद)

संख्या : 4520 / नी-8-2017-153ज/2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर, 2017

**विषय : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रदेश के नागर निकायों में भूमि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

प्रदेश में कुल जनसंख्या की लगभग 22 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में दिन-प्रतिदिन हो रही वृद्धि के कारण शहरी में अवस्थापना सुविधाओं का अत्यधिक दबाव है, जिसमें से ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन नागर निकाय की मुख्य समस्या है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 द्वारा निर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के नियम-11 व 12 में नगर विकास विभाग व जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी के कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं, जिसमें यह उल्लिखित है कि इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर जिले में स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाओं की स्थापना करने के लिए नियम-11 के खण्ड (च) के अनुसार उपयुक्त भूमि की पहचान तथा आवंटन एवं इसे मास्टर प्लान/भूमि उपयोग योजना में शामिल करना होगा।

2- भूमि का चिह्नंकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 की अनुराची-1 (नियम-15(ब), (यड), 16(1) (ख)(ड), 16(4) में दी गयी व्यवस्था एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य, पर्यावरण, पेयजल की शुद्धता एवं प्रदूषण के मानकों को ध्यान में रखकर की जायेगी जैसे-चयनित भूमि नदी से 100 मीटर तालाब से 200 मीटर, राजमार्ग, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति स्रोतों से 200 मीटर तथा विमान पतनों या हवाई अड्डों से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होनी चाहिए।

3- वर्तमान में प्रदेश में कुल 653 नागर निकाय है, जिनमें 16 नगर नियम, 199 नगर पालिका परिषद एवं 438 नगर पंचायत है। अधिकांश नागर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता न होने के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बिकट समस्या बनी हुई है।

4- राजस्व विभाग अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 के प्रस्तर-2 में राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं औद्योगिक प्राधिकरणों, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित परिवर्तों एवं प्रदेश में कार्यान्वित होने वाली पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं आदि के लिए भू-स्वानियों से सीधे भूमि कय किये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में लघु परियोजनाओं हेतु "जिला (लघु परियोजना) कय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति" तथा प्रस्तर-4 में "जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) कय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति" का गठन किया गया है। तदनुसार नगर विकास विभाग द्वारा प्रदेश की नगर निकायों में जोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भूमि की निःशुल्क उपलब्धता न होने की स्थिति में भू-स्वानियों/कृषकों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि कय करने हेतु निम्नवत दो समितियों का गठन किया जाता है:-

(क) लघु परियोजनाओं हेतु- "जिला (लघु परियोजना) कय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति"

(लागत रू0 10 करोड तक)

1	अपर जिलाधिकारी (वि0रा10)	अध्यक्ष
2	संबंधित अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य
3	संबंधित उप जिलाधिकारी	सदस्य
4	संबंधित सब रजिस्ट्रार/उप महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन/सहायक महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन	सदस्य
5	नगर आयुक्त/अधिशारी अधिकारी	सदस्य सचिव

(ख) मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं हेतु- "जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) कय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति"

(लागत रू0 10 करोड से अधिक)

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	संबंधित अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य
3	संबंधित उप जिलाधिकारी	सदस्य
4	संबंधित सब रजिस्ट्रार/उप महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन/सहायक महानिरीक्षक स्टैम्प एवं निबंधन	सदस्य
5	नगर आयुक्त/अधिशारी अधिकारी	सदस्य सचिव

5- लघु परियोजनाओं एवं मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं हेतु राजस्व विभाग अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011, दिनांक 19 मार्च 2015 में उल्लिखित अन्य व्यवस्थाएँ यथावत रहेंगी।

6- समिति द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निगमों में 02 स्थल शहर की अलग-अलग दिशा में व नगर पालिका एवं नगर पंचायत हेतु 01 स्थल का चिन्हांकन/चयन किया जायेगा। महानगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का एक ही स्थल होने की दशा में कतिपय क्षेत्रों के राग्रहित अपशिष्ट को शहर से गुजरते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल तक पहुँचाना पड़ता है, जिसमें न सिर्फ अधिक व्यय होता है, बल्कि असुविधा भी होती है।

7- कय की जाने वाली भूमि नागर निकाय के पक्ष में कय की जायेगी एवं इसका वित्त पोषण राज्य वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग/अवस्थापना विकास निधि/स्टाम्प शुल्क के अन्तर्गत 2 प्रतिशत धनराशि/नागर निकाय निधि में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

8- कृपया उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)

मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद।
- 4- निजी सचिव, मा० मंत्री जी/मा० राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
- 5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
- 6- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, उ०प्र०।
- 7- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 9- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर रोल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
 Manoj Kumar Singh  
 (मनोज कुमार सिंह)  
 प्रमुख सचिव

संख्या-818/नौ-5-19-56सा/2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2019

विषय:-स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सेनेट्री लैण्डफिल साईट के विकास हेतु नगर विकास विभाग को "सेवारत" विभाग की श्रेणी में रखते हुए ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

नहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-2776/नौ-5-2011-71सा/2011 दिनांक 17.06.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहर की ओर पलायन, नगरीय यातायात में हो रही दिन प्रतिदिन वृद्धि के कारण शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ते दबाव के त्वरित निराकरण हेतु नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग की श्रेणी में रखते हुए नगर विकास विभाग द्वारा कियान्वित/संचालित अवस्थापना सुविधाओं के विकास को परियोजनाओं-पेयजलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, नगर परिवहन तथा विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा कियान्वित योजनाओं/परियोजनाओं हेतु आगामी 05 वर्ष के लिए राजस्व विभाग द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया था।

2- उपर्युक्त शासनादेश में प्रदान की गयी समयावधि दिनांक 17.06.2016 को समाप्त हो जाने के कारण नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के वाणिज्यिक विभाग होने की स्थिति में उनके पक्ष में ग्राम पंचायत की भूमि उपलब्ध होने के बावजूद नियमानुसार निःशुल्क रूप से पुनर्ग्रहित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के मुख्य घटक "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन" हेतु भूमि की उपलब्धता न हो पाने के कारण स्वच्छ भारत मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में अत्यन्त कठिनाई हो रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रत्येक शहरी निकाय के लिए एक चुनौती बना हुआ है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए सेनेट्री लैण्डफिल साईट का विकास किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

4- उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन इत्यादि कारणों से नगरीय क्षेत्रों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण नगर विकास विभाग को "सेवारत" विभाग के श्रेणी में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के महत्वपूर्ण

घटक-ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत रोनेट्री लैण्डफिल साईट के विकारा हेतु ग्राम समाज की भूमि राजस्व विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। इस शारणादेश की वैधता आगामी 05 वर्ष ( दिनांक 07.03.2024 ) तक होगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

*Manoj* 7.3.19  
( मनोज कुमार सिंह )  
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3-स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
- 4-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
- 5-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 6-समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 7-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 8-निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 9-निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)।
- 11-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 12-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

*Manoj* 7.3.19  
( मनोज कुमार सिंह )  
प्रमुख सचिव

Mobile No. 9450610332  
Phone No. (0532) 6451874

श्याम सूरत शुक्ला  
**(S. S. Shukla)**

एडवोकेट हाई कोर्ट

चैम्बर नं० ३ हाई कोर्ट इलाहाबाद

निवास/कार्यालय : गंगा भवन जी-1-224 एम आई जी (कल्पना)

कालिन्दीपुरम आवारा योजना, इलाहाबाद।

(नजदीक राजरूपपुर पुलिस चौकी, टेलीफोन एक्स्टेंज के पास)

Criminal / Civil M.W.P./F.A.F.O./U/s 482/ Rev./Bail/Appeal No. 25226 / 2006

District - Chhatisgarh

Bada and others ..... Petitioner/s

Versus

Dy. Director of Consolidation, Chhatisgarh Respondent/s  
and others (Copy of Order Dated 8.1.2013....)



Court No. - 10

Case :- WRIT - B No. - 25226 of 2006

**Petitioner :-** Bala & Others

**Respondent :-** Dy. Director Of Consolidation, Ghaizabad & Others

**Counsel for Petitioner :-** Ajeet Srivastava

**Counsel for Respondent :-** C.S.C., S.S. Shukla, V.K. Singh

**Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya), J.**

The writ petition has been revised. No one appears for the petitioners to press this petition. Sri S.S. Shukla, learned counsel for the respondents is present.

By the impugned orders passed by the consolidation authorities, it has been held that the land in dispute is the Gaon Sabha land and the petitioners have no concern with it. Findings of fact recorded by the consolidation authority do not suffer any illegality. The writ petition is dismissed.

**Order Date :-** 8.7.2013

P

AUTHENTICATED COPY

*S. K. Sharma*  
8-7-13  
SECTION OFFICER

COMPUTERISED COPYING SECTION  
HIGH COURT, ALLAHABAD

ukla  
ocate  
ioner  
No..  
abac

Mobile No. 9450610332  
Phone No. (0532) 6451874

श्याम सूरत शुक्ला  
**(S. S. Shukla)**

एडवोकेट हाई कोर्ट

नंबर नं० ३ हाई कोर्ट इलाहाबाद

निवासा कार्यालय : गंगा भवन जी-१-२२४ एम आई जी (कल्याण)

कालिन्दीपुरम आवास योजना, इलाहाबाद।

(संजदीक राजरूपपुर पुलिस चौकी, टेलीफोन एक्सचेंज के पास)

Criminal / Civil M.W.P./F.A.F.O./U/s 482/ Rev./Bail/Appeal No. 25226 / 2006

District - Chhazibad

Bala and others Petitioner/s

Versus

State of Chhazibad, Chhazibad Respondent/s

(Copy of Order Dated 8/7/2013....)

RECEIVED  
FOR  
8/7/2013

Court No. - 18

Case :- WRIT - B No. - 25226 of 2006

**Petitioner :-** Bala & Others

**Respondent :-** Dy. Director Of Consolidation, Ghaizabad & Others

**Counsel for Petitioner :-** Ajeet Srivastava

**Counsel for Respondent :-** C.S.C., S.S. Shukla, V.K. Singh

**Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya), J.**

The writ petition has been revised. No one appears for the petitioners to press this petition. Sri S.S. Shukla, learned counsel for the respondents is present.

By the impugned orders passed by the consolidation authorities, it has been held that the land in dispute is the Gaon Sabha land and the petitioners have no concerned with it. Findings of fact recorded by the consolidation authority do not suffer any illegality. The writ petition is dismissed.

**Order Date :-** 8.7.2013

P

AUTHENTICATED COPY

*S.K. Singh*  
17.2

SECTION OFFICER  
COMPUTERISED COPYING SECTION  
HIGH COURT, ALLAHABAD

Court No. - 7

Case :- WRIT - B No. - 5862 of 2006

Petitioner :- Om Prakash & Others

Respondent :- State Of U.P. Thru' Secretary Revenue, Lucknow & Others

Counsel for Petitioner :- D.S. Pandey

Counsel for Respondent :- C.S.C.,S.S. Shukla,V.K. Singh

Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.

Civil Misc. Impleadment Application.

Nagar Palika Parishad Loni Ghaziabad has filed this application along with stay vacation application. In the affidavit it has been stated that the land in dispute has been acquired by Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad, as such, he is the necessary party in the writ petition.

The impleadment application is allowed.

Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad be impleaded as respondent-7 in the writ petition.

Order Date :- 13.3.2014

Rahul Dwivedi

Court No. - 7

Case :- WRIT - B No. - 58623 of 2006

Petitioner :- Om Prakash & Others

Respondent :- State Of U.P. Thru' Secretary Revenue, Lucknow & Others

Counsel for Petitioner :- D.S. Pandey

Counsel for Respondent :- C.S.C.,S.S. Shukla,V.K. Singh

Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.

List has been revised. No one appears for the petitioners. Sri Vimlesh Kumar Rai, counsel for Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad is present.

By the impugned orders passed by the consolidation authorities, it has been held that the land in dispute is the Gaon Sabha land and the petitioners have no concern with it. Findings of fact recorded by the consolidation authorities do not suffer from any illegality.

The writ petition is dismissed.

Order Date :- 13.3.2014

Rahul Dwivedi

उद्घरण खतौनी (शासकीय)

उद्घरण क्रमांक : 119884/2018/111166

पत्र क्रमांक : 119884	पत्र का नाम / परामा : पीएच विन्डु(तौनी)	तारीख : तौनी	नगरपद : गावियानाद	काली वर्ष : 1423-1428	पाना : 1		
1	2	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 5-3 म / धुने शीत मक - प्रसारी तकनी शैली

काला खतौनी क्रमा संख्या	खतौना का नाम / दिना पत्ती संख्या का नाम / विनात स्थान	धीनिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खतौने के प्रत्येक गादे की खतौना संख्या	प्रत्येक गादे का क्षेत्रफल (हे.)	खतौना द्वारा देय भालावारी का लगान	परिवर्तन सम्बन्धी अक्षा या उतकना धाराख उतकी संख्या तथा दिनांक तारीख और अक्षा देय वारी अधिकारी का पद
01235	काला /		477	1.4950		
			14	0.6280		
			26	0.0530		
			49	0.2090		
			71	0.0570		
			74	0.2230		
			139	0.1080		
			143	0.1080		
			153	0.2350		
			167	0.7860		
			208	0.1610		
			211	0.4020		
			216	0.7500		
			221	0.1910		
			231	0.2970		
			234	0.4410		
			242	1.2470		

नं. (1) अर्द्धमासिक की की ती गा नगरपद सं 273/30.5.02. वार 48 (3) कक म दिना तारीख हे. दिनांक..... अर्द्धमासिक की की ती नं 128/24.5.01 के अनुसार म नगर सं 2163/3-0-0 कक होने के कारण ककी 22.80 दिना..... ख नं 1529 म से 0-1-12(10)0.80.

ख नं 1530 म से 0-16-0(9)7.20. ख नं 1488 से. 0-16-8(10)3.40 कक नं 3 कक से 1-4-8 कक मा. 11.40 ) (132) मा 873/1-4-8, 1485 म से 0-0-4(10) 0.10, 1485 म से 0-2-0(10)1.00. ख नं 1488 से 0-5-8(10)2.70 कक नं 3 कक से 0-7-12 कक मा. 3.80(428) मा 875/0-7-12. ख नं 493 से 0-0-16 (10)0.40. ख नं 1486 से 0-0-4(10)2.00 ख नं 1488 से. 0-10-8(10)5.20 कक नं 3 कक से 0-15-4 कक मा 7.60 ) (426) मा 876/0-15-4 दिना नं 9. देल से 2-7-4 देल मा. 22.80।

अर्द्धमासिक की की ती नं 211 वार 427/30.5.02 कक म दिना तारीख हे. दिनांक ख नं 1596 म से 0-0-1 मा 0.02/210 नं मा 858/0-0-1 दिना 1526 म से 0-0-1(10)0.02(210) कक से.

523	4.3350
526	3.9300
530	2.8010
538	0.3160
538	1.2740
540	1.1750
547	1.2010
555	1.8370
564	0.4180
659 क	0.0380
661	0.0380
685 क	1.5690
685 ग	0.0760
706	0.2090
718	0.0210
721	0.0200
726	0.0230
729	0.0220
732	0.0780
739	0.2480
742	0.0710
790	0.1920
801	0.1020
843	0.0850
858	0.4810
812	1.4670
966	0.1730
993	0.5210
1000 क	0.0760

पुल्ला में अप्लिस्ट चुनू उ की चरण सिंह व जनेन्द्र सिंह पुरगण परमपल नि. गाम. कटैया का नाम दर्ज होवे। इ.ले.अ. 3-2-04

(2) अदोशपुरा श्रीमान व.अ. व गा.वाड अपील सं.5 धारा 21 (2) औ व.अ. चुनू उर्फ चरण सिंह बनाम एककुमार अद्रि के अन्तर्गत अदोश गुरु कि ग्राम भीर पुर् हिन्दू परगना लोनी लह. व जिला गा.वाड में गरित अदोश नि. 5-9-02 व 22-01-04 को संशोधित करतै हुए अपीलवाली के उनके पुरान गाटा सं. 2158

लम्बा 3-16-0 व 2158/3 लम्बा 7 बिससों व 2162/7 लम्बा 2-5-0 व 2162/8 लम्बा 1-4-0 कुल लम्बा 7 बीघा 12 बिससों पुल्ला के नये गाटा सं. 1202 व लम्बा 0-16-8 पुल्ला व नये गाटा सं. 1204 व 6-12-017 बीघा पुल्ला व नये गाटा सं. 1209 क व 2 बिससों 15 बिससों पुल्ला कुल लम्बा 7 बीघा 12 बिससों

पुल्ला दर्ज किये जाने व पुराने गाटा संख्या 2162/9 लम्बा 7-13-0बीघा पुल्ला के नये गाटा सं. 1210 व अप्लिस्ट चुनू उर्फ चरण सिंह व जनेन्द्र सिंह पुर् परमपल नि. गाम गढी कटैया का नाम दर्ज होवे। इ.ले.अ. 5-3-04

न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी गा0वाड अपील सं0 98 धारा 11(1) जो0च0अफि0 चुनू उर्फ अत सिंह बनाम एककुमार अद्रि तारीख फैसला 9-6-2005 अदोश—अपील चुनू उर्फ चरण सिंह व जनेन्द्र कुमार पुरगण परमपल दि0 22-10-02 निरस्त की जाती है एवं अदोश दि0 1-9-03 द्वारा

दर्ज विवादित भूमि स्थित गाम भीरपुर हिन्दू के पुराने गाटा सं0 2158 लम्बा 3-16-0 व 2158/3 लम्बा 0-7-0 व 2162/7 लम्बा 2-5-0 व 2162/8 लम्बा 1-4-0.2162/9 लम्बा 7-13-0 पर दर्ज चुनू उर्फ चरण सिंह व जनेन्द्र कुमार पुरगण परमपल सिंह नि0गाम गढी कटैया का नाम निरस्त कर गाम सभा बंजर पूर्वत दर्ज हो ह0आ0के0

अदोश श्रीमान चकबन्दी अधिकारी गाजियाबाद वाड सं0 19/ 20-10-2004 नियम 109 परमानन्द बनाम सरकार को अदोश

1423-ए अर्देग श्रीमान ठ. लोनी बिलन नम्बर  
T20151128033021/5.8.15 को अर्देग रुख कि छाता  
नं. 895 के छाता 1204 रकम 0.0158 है। पर्सनल  
से बिक्रीत अर्देग कुमार पुत्र भिखार लाल बिलनी ग्राम पत्नी  
सदरकर पराना लोनी का नाम खारिब करके केना पीकेसद  
दिसवार

पुत्र सुन्दरा बिलनी 2910 काली मन्दिर श्रीमान सवार नई  
दिल्ली का नाम करी केना दर्द है। रोजरकान 5.8.15।

1423-ए अर्देग श्रीमान ठ. लोनी बिलन नम्बर  
T20151128032741 / 5.8.15 को अर्देग रुख कि  
छाता नं. 895 के छाता नं. 1202 रकम 0.0056 है. मा.गु.  
पर्सनल से बिक्रीत अर्देग कुमार पुत्र लोनी कुमार बिलनी ग्राम  
पत्नी सदरकर पराना लोनी का नाम खारिब करके केना श्रीमती  
रुमिनी गुा

पत्नी सदीप कुमार गुा बिलनी ग्राम व पीकेट प्रमोदिन बलार बाना  
गोसाईं मंत्र पराना अर्देग बिलन केनाबर 3050 का नाम करी  
केना दर्द है। रोजरकान 5.8.15।

1423-ए अर्देग श्रीमान ठ. लोनी बिलन नम्बर  
T20151128032742 / 5.8.15 को अर्देग रुख कि  
छाता नं. 895 के छाता नं. 1202 रकम 0.0056 है. मा.गु.  
पर्सनल से बिक्रीत अर्देग कुमार पुत्र लोनी कुमार बिलनी ग्राम  
पत्नी सदरकर पराना लोनी का नाम खारिब करके केना श्रीमती  
बीना पत्नी

पेरिन कुमार बिलनी पीकेसदा हेरिया गद काचा गोसाईं मंत्र पराना  
अर्देग बिलन केनाबर 3050 का नाम करी केना दर्द है।  
रोजरकान 5.8.15।

काफ़रुण बिलनिकारी गाबिथार। पत्रक 3289।  
शा.बी.एल.अर.श्री/2012-13 दिनांक 25.11.12 के अर्देग  
दियाक 25.11.2012 अर प्रदेश जमींदारी बिलन एवं भूमि  
खतरवा अधिनियम 1950(उ.प्र.) अधिनियम सं.-1ए. 1951  
की धारा 177 की उपधारा 6 के अन्तर्गत शासनादेश सज्जा

25/01/16

(1)-73-11-01 दिनांक 16.9.1981 का नया निवास विभाग।  
अनुभाग -5 द्वारा निर्मित शासनादेश संख्या 27/87जी.  
5-2011-जे विजे लगे प्रमाणितो के अन्तर्गत एका बाका गुण  
प्रदान कियेको का प्रयोग कलगे हुए है अन्तर्गत शासनादेश संख्या  
110 काय प्रातिनिधित्व है-व कुल खण्ड-5 भाग-1 के

परीशि-9 एवं अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो अब तक गुण  
रूप में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेनी है। इस  
विषय में इस सीमा तक निरस्त और अधिक दाय में परिचय लगे  
जायेगी तब पूर्णतः इस प्रक्रिये के साथ किया जाता है कि भूमि  
साथि वेस्ट मेन्वेस्ट टाउन्ड की स्थापना


के प्रयोग में लगे जायेगी तथा पूर्णतः प्रकृति किसी नैतिक  
प्रयोग में नही लाने जायेगी। अनुसूची क्र. 3, किला/तह. गरमा  
गुण गया क्षेत्र 1 गाविसबाद लेनी थीएर किन् 523  
4.3350 है. 526 3.3900 है. 2.7.7250 है.

विवरण इसके लिए भूमि का पूर्णतः किया जा रहा है, अर्थात्  
वेस्ट मेन्वेस्ट टाउन्ड की स्थापना हो सकर विभाग अर्थात्  
3090 गासन खण्ड के पक्ष में। एम.पी. अर्थात् अन्वय  
कन्सलर गा0बाद 31.12.151

1424-क. अर्थात् श्रीमान तह. लेनी भिखत न.  
T2016112803154 / 24.12.18 को अर्थात् एव कि  
खण्ड न. 1235 खण्ड न. 1204 एव 0.0334 हे. वा.पु.  
0.70 रु. से विक्रेता अनिल कुमार पुत्र मिट्ठन तान निवासी गुण  
पत्नी चन्द्रकान्त परमा सोनी लक्ष्मी व किला गाविसबाद का नम  
छारिल करके केता नौदाम्द अन्वय पुत्र नौ0 दिनाद निवासी  
2910 काली पत्विद रीताणम बाबाद हिल्ली का नम कतोर  
किया दूरी हो। ह.अ.र.का. 26.12.16।

1424-क. अर्थात् श्रीमान तह. लेनी भिखत न.  
T2016112803157 / 24.12.16 को अर्थात् एव कि  
खण्ड न. 1235 खण्ड न. 1204 एव 0.0044 हे. वा.पु.  
0.10 रु. से विक्रेता अनिल कुमार पुत्र मिट्ठन तान निवासी गुण





Handwritten text at the bottom of the page, likely a title or description of the plan. The text is written in Hindi and appears to be: 'सर्वेक्षण विभाग, दिल्ली - 110001' (Survey Department, Delhi - 110001).



संविद्ध सं०-एचडीए-३  
लाइसेंस सं०-इएचएडीए-३  
(लाइसेंस दू. गैस विचारण प्रीमियम)



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 66] इलाहाबाद, शनिवार, 3 नवम्बर, 2012 ई० (कार्तिक 12, 1934 शक संवत्) [संख्या 44

### विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सकें।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक घन्टा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक घन्टा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		₹0			₹0
भाग 1-दिज्ञप्ति-अधिकार, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे दैनिक नोटिस	685-692	3075	भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1-क-नियम, कार्य-दिधियां, आज्ञायें, दिज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राज्य परिषद् ने जारी किया	1169-1180	1500	भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	..	975
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	..	
भाग 2-आज्ञायें, दिज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की दिज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण		075	भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट	..	
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रौड.पत्र, खण्ड क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख-नगर पंचायत, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत		975	भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये	..	
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	..	975
			भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट	..	
			भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी दिज्ञप्तियां	..	
			भाग 8-सरकारी कागज-पत्र, तथाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के ऑफ़र, रोगग्रस्त होने वाली और मरने वाली के ऑफ़र, फसल और ऋण सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	435-438	975
			स्टोर्स-पर्येज विभाग का क्रौड पत्र	25-27	1425

रजिस्ट्रार नं०-एच०सी०-१  
आइ०एन० नं०-एच०सी०-१  
लखनऊ नं० पोस्ट विभाग प्रिंटेड



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 3 नवम्बर, 2012 ई० (कार्तिक 12, 1934 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आग्रादे, विद्यार्थियों इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राज्य परिषद ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD  
NOTIFICATION  
October 18, 2012

No. 1913/DR(S)-2012--In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Tufani Prasad, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur, till the new District & Sessions Judge assumes charge of his office.

By order of the Court,  
ANANT KUMAR,  
Registrar General.

[ESTABLISHMENT SECTION]  
October 19, 2012

No. 70--From the date of taking over charge, the following 04 Section Officers posted at High Court, Lucknow Bench who originally belong to High Court, Allahabad, are hereby transferred back to High Court, Allahabad in the same capacity on regular basis without entitling any T.A., D.A. and Joining Leave :

Sl.	Emp. no.	Name
		S/Sri--
1	3346	Jilay Dar Singh
2	3348	Sunil Kumar-III
3	3350	Rajesh Kumar Chaurasiya
4	3447	Khurshed Ahmad









## Annexure J: Permission from GoUP for Nidori Waste Facility

## ANNEXURE E

समयबद्ध/महत्वपूर्ण

संख्या:6021/नी-5-2025-Comp, No.1952895

प्रेषक,

कल्याण बगर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
मेरठ मण्डल, मेरठ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:दिनांक: 29 सितम्बर, 2025

विषय: खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डारना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं० 754नि/0.0300 हे० कुल क्षेत्रफल 2.500 हे० को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर वेस्ट ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत करने के संबंध में।

नहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-382/एस0टी0/आयुक्त/मेरठ/2025 दिनांक 27.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डारना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं० 754नि/0.0300 हे० कुल क्षेत्रफल 2.500 हे० को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर वेस्ट ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा संख्या-124 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापक जनहित के दृष्टिगत खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डारना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं० 754नि/0.0300 हे० कुल क्षेत्रफल 2.500 हे० को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर वेस्ट ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत किये जाने के संबंध में एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

(कल्याण बगर्जी)  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक, यथोपरि।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
- 2-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4-नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
- 5-अधिशारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, जनपद-गाजियाबाद।

(कल्याण बगर्जी)  
संयुक्त सचिव।

Am 19 00:17

**Annexure K: Request Letter to GDA for inclusion of Nidori Waste Facility Site in Master Plan 2031**



**कार्यालय: नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम**  
**OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION**

दूरभाष: 0120-2790425, 2713580 ई-मेल: gzb.nagar.nigam@gmail.com  
 पत्रांक: 351 /न0आ0/2025 दिनांक: 14/05/2025

To

**The Vice Chairman,**  
 Ghaziabad Development Authority (GDA)  
 Vikas Path, Near Old Bus Stand,  
 Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201001

**Subject:** Incorporation of Updated Geotagged Locations of Material Recovery Facility (MRF) Centres and Other Solid Waste Management (SWM) Infrastructure in the Ghaziabad Master Plan – reg.

**Reference:** Our Letter No: 103/ Nagar Ayukt/ 2025 dated 14-05-2025

Dear Sir,

With reference to our earlier communication dated 14-05-2025 bearing no. 103 regarding the integration of Solid Waste Management (SWM) infrastructure into the Ghaziabad Master Plan, this is to submit an updated list of MRF Centres and related SWM processing facilities along with their geotagged coordinates for your kind incorporation.

As per the guidelines under Swachh Bharat Mission – Urban (SBM-U) 2.0, the CPHEEO Manual on Municipal Solid Waste Management (2016), and regular directions of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), GIS-based mapping and geotagging of SWM infrastructure is essential for improved planning, monitoring, and long-term urban sustainability.

Accordingly, it is requested that the updated list of MRF Centres and other processing facilities (refer Annexure I) be spatially integrated into the existing/upcoming Ghaziabad Master Plan. Incorporation of these locations will:

- Ensure comprehensive spatial mapping of SWM infrastructure
- Prevent future land use conflicts and potential encroachments
- Promote inter-departmental coordination and informed planning


Additionally, as and when land is formally handed over by GDA to Ghaziabad Nagar Nigam for the establishment of SWM facilities in Indirapuram (as agreed in the joint handover documentation), you are kindly requested to ensure that these new locations are also geotagged and reflected accordingly in the relevant section of the Master Plan.

Enclosed:

1. Updated coordinates of MRF Centres and other processing facilities (Annexure I)
2. Map-based pictorial representation of facilities for ease of reference.

Thank you for your continued support and cooperation in ensuring the development of a sustainable and well-integrated waste management system in Ghaziabad.

Sincerely,

  
**Vikramaditya Singh Malik (IAS)**  
 Municipal Commissioner  
 Ghaziabad Nagar Nigam

**Copy to:**

1. Hon'ble Divisional Commissioner, Meerut Division
2. Hon'ble District Magistrate, Ghaziabad
3. Concerned officials of Ghaziabad Nagar Nigam with instructions to follow up with GDA

## Annexure I

Solid Waste Management Facilities (Ghaziabad Nagar Nigam)					
Material Recovery Facilities (MRFs)					
Sr. No	Zone	Plant Name	Location Details	Latitude	Longitude
1	City Zone	Sihani Garage- Garbage Factory 1	Sihani Garage, Ghaziabad	28.691	77.425
2	Kavi Nagar	P Block Sanjay Nagar MRF	P-Block, Sanjay Nagar, Ghaziabad	28.688	77.456
3	Kavi Nagar	M Block Sanjay Nagar MRF	Ward 53, M Block Sanjay Nagar, Ghaziabad	28.694	77.460
4	City Zone	Ret Mandi Hindon- Garbage Factory 2	Ret Mandi Hindon Vihar	28.677	77.412
5	Vijay Nagar Zone	Akbarpur Behrampur	Akbarpur Behrampur	28.635	77.410
6	Mohan Nagar	Rajeev Colony MRF Centre	Rajeev Colony, Mohan Nagar, Ghaziabad	28.682	77.382
7	Mohan Nagar	Kareda MRF Centre	Karera, Mohan Nagar, Sahibabad, Ghaziabad	28.687	77.382
8	Mohan Nagar	Apsra Border MRF Centre	Ward 34 Sahibabad Site 4, Ghaziabad	28.674	77.326
9	Mohan Nagar	Arthala MRF Centre	Ward 38, Arthala Road, Sanjay Colony, Mohan Nagar, Ghaziabad	28.676	77.395
10	Vasundhara	Sahibabad Mandi MRF Centre	Madan Mohan Malviya Nagar	28.662	77.359
11	Vasundhara	Sahibabad Depo MRF Centre	Sahibabad Site 4, Ghaziabad	28.671	77.366
12	Vasundhara	Maharanj Pur Gaanv (Near Idgah)	Vasundhara	28.676	77.395

hm.

13	Vasundhara	Sector 8 Waste Collection Point Vasundhara	Infront of Indapuram Thana, Vasundhara	28.662	77.372
14	Kavi Nagar	Kavi Nagar MRF Centre	Ward No 65, Swadeshi Compund Gate	28.657	77.453
15	Kavi Nagar	Raj Nagar MRF	Ward no 84, Near Zila Sahkari Bank	28.657	77.453
16	City Zone	Lohiya Nagar Waste Collection Centre	Ward No, 69 Hamdard Chowki	28.665	77.437
17	City Zone	Nandgram Waste Collection Centre	Ward No 11, Ultranchal Bhawan	28.693	77.401
18	City Zone	Kaila Bhatta MRF Centre	Ward No 92, Near Govt School, City Zone	28.666	77.420
19	City Zone	Durga Bhabhi Chowk Waste Collection Centre	Ward No. 59, City Zone	28.667	77.427
20	City Zone	Sabji Mandi Waste Collection Centre	Ward 12, Sabji Mandi, City Zone	28.668	77.431
<b>Mechanized Garbage Transfer Station</b>					
Sr. No	Zone	Plant Name	Location Details	Latitude	Longitude
1	Vijay Nagar Zone	Akbarpur Behrampur	Akbarpur Behrampur	28.635	77.410
2	Kavi Nagar	Sanjay Nagar M Block Transfer Station	Raheespur	28.694	77.460
3	Mohan Nagar	Shyam Park Extension	Shyam Park Extension (Rajendra Nagar)	28.680	77.360
4	City Zone	Sihani Garage	Noor Nagar (Saddiki Nagar)	28.691	77.426
5	Kavi Nagar	Madhuban Bapudham (Govindpuram)	E Block Govindpuram	28.694	77.492

6	Mohan Nagar	Mohan Nagar Metro Waste Transfer Station	17, Opp Agarwal Sweets, Rajendra Nagar, Block-7, Sector 5 Shahidabad	28.679	77.360
7	Vasundhara	Vasundhara Nature Green Transfer Station	49/70 Site-4, Sahidabad Industrial Area, Gamm-2 Sahidabad	28.672	77.357
<b>C&amp;D Waste Plant</b>					
1	City Zone	C&D Waste Processing Plant	Hindon Vihar, Sewa Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh	28.678	77.415
<b>Other Facilities</b>					
1	Dabarsi Site Waste Processing Site (expandable for future use)		Village Dabarsi, Ghaziabad	28.724	77.582
2	Bhikkanpur Dumping Ground		Village Bhikkanpur, Ghaziabad	28.667	77.449
3	Site at Galand and Pipalheda		Village Galand and Village Pipalheda	28.678	77.570
4	Site at Meerpur Hindu, Loni		Village Meerpur Hindu	28.797	77.232
5	Site at Nidori, Dasna		Village Nidori	28.710	77.603

- Encl: 1. Link of the KML File listing co-ordinates of the facilities  
 2. [https://earth.google.com/earth/d/1Ms7o1H3glwwFfx\\_Q-x1EzbCQ9rTSIxp7?usp=sharing](https://earth.google.com/earth/d/1Ms7o1H3glwwFfx_Q-x1EzbCQ9rTSIxp7?usp=sharing)



3. Locations represented on the map of Ghaziabad (for reference)  
 4. Site plan of the Galand and Pipalheda Site  
 5. Locations represented on the map of SWM Plant Village Meerpur Hindu, Loni, & Village Nodori, Dasna, Ghaziabad (for reference)

*hm*

—:: हस्तान्तरण कार्यवृत्त ::—

खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं०-754मि/0.0300हे० व खसरा नं०-766/2.200हे० कुल क्षेत्रफल 2.500हे० को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर बेस्ड ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत करने के सम्बन्ध में।

आयुक्त महोदय, मेरठ मण्डल, मेरठ के कार्यालय पत्र सं०-482/एस.टी./आयुक्त/मेरठ/2025 दिनांक 30.09.2025 एवं संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र० शासन के पत्र सं०-6021/नौ-5-2025-कम्प्यूटर नं०-1959895 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा संख्या-124 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यापक जनहित के दृष्टिगत खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं०-754मि/0.0300 हे० व खसरा नं०-766/2.200 हे० कुल क्षेत्रफल 2.500 हे० को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर बेस्ड ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत किये जाने के लिए शासन द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र सं०-1267/21-एल०बी०सी०/2025 दिनांक 16.10.2025 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं०-754मि/0.0300 हे० व खसरा नं०-766/2.200 हे० कुल क्षेत्रफल 2.500 हे० तथा उस पर निर्मित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट व इससे समस्त सम्बन्धित अभिलेखों को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तगत किये जाते हैं। हस्तगत के उपरान्त उक्त प्लांट का संचालन गाजियाबाद नगर निगम द्वारा किया जायेगा। उक्त प्लांट में खोड़ा नगर पालिका परिषद के क्षेत्रान्तर्गत उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कलस्टर वेस्ट पद्धति के आधार पर किया जायेगा। खोड़ा नगर पालिका परिषद के ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु व्यय भार निविदा दर के अनुसार नगर पालिका को वहन करना होगा। इसके अतिरिक्त इसी अधिग्रहीत भूमि पर निर्मित एवं संचालित एम.आर. एफ. सेन्टर का संचालन एवं रख-रखाव नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर, गाजियाबाद द्वारा अपने कूड़े के निस्तारण हेतु किया जायेगा। उक्त हस्तान्तरण प्रक्रिया आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को पूर्ण हुई।

नगर पालिका परिषद-खोड़ा मकनपुर

गाजियाबाद नगर निगम

सफाई निरीक्षक

*[Signature]*

अवर अभियन्ता (सिविल),

अधिशासी अधिकारी,

(अभिषेक कुमार)

अधिशासी अधिकारी

न०पा०परि०खोड़ा-मकनपुर,  
गाजियाबाद।

*[Signature]*

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

अपर नगर आयुक्त (AK)

अपर नगर आयुक्त (JBY)

31/10/25

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को सादर अवलोकनार्थ।



कार्यालय: नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाष: 0120-2790425, 2713580

ई-मेल: gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांक: 491 / न0आ0/2025

दिनांक: 09/10/2024

प्रेषक:

नगर आयुक्त  
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

**विषय:** खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं0-754मि/0.0300हे0 व खसरा नं0-766/2.200हे0 कुल क्षेत्रफल 2.500हे0 को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर बेस्ड ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त महोदय, मेरठ मण्डल, मेरठ के कार्यालय पत्र सं0-482/एस.टी./आयुक्त/मेरठ/2025 दिनांक 30.09.2025 एवं संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-6021/नौ-5-2025-कम्प्यूटर नं0-1959895 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा संख्या-124 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यापक जनहित के दृष्टिगत खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं0-754मि/0.0300हे0 व खसरा नं0-766/2.200हे0 कुल क्षेत्रफल 2.500हे0 को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर बेस्ड ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत किये जाने के लिए शासन द्वारा सहमति प्रदान की गयी जिसके क्रम में उक्त प्लांट को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तगत किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं0-754मि/0.0300हे0 व खसरा नं0-766/2.200हे0 कुल क्षेत्रफल 2.500हे0 तथा उस पर निर्मित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट एवं समस्त सम्बन्धित अभिलेखों को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तगत करने हेतु गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से श्री जंगबहादुर यादव, श्री अवनीन्द्र कुमार अपर नगर आयुक्त व डॉ. मिथलेश कुमार नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नामित किया जाता है। आपसे सादर अनुरोध है कि हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय  
om 09/10/24  
o/c (विक्रमादित्य सिंह मलिक)  
आई.ए.एस.

नगर आयुक्त

प्रतिलिपि:-1. श्री जंगबहादुर यादव व अवनीन्द्र कुमार अपर नगर आयुक्त को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।  
2. डॉ. मिथलेश कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

om  
o/c (विक्रमादित्य सिंह मलिक)  
आई.ए.एस.

नगर आयुक्त

समयबद्ध/महत्वपूर्ण

संख्या:6021/नौ-5-2025-Comp. No.: 1959895

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

आयुक्त,  
मेरठ मण्डल, मेरठ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:दिनांक: 29 सितम्बर, 2025

विषय: खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं0 754मि/0.0300 हे0 कुल क्षेत्रफल 2.500 हे0 को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर बेस्ड ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-382/एस0टी0/आयुक्त/मेरठ/2025 दिनांक 27.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं0 754मि/0.0300 हे0 कुल क्षेत्रफल 2.500 हे0 को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर बेस्ड ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा संख्या-124 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यापक जनहित के दृष्टिगत खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं0 754मि/0.0300 हे0 कुल क्षेत्रफल 2.500 हे0 को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर बेस्ड ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत किये जाने के संबंध में एतद्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक, यथोपरि।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
- 2-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 4-नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
- 5-अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, जनपद-गाजियाबाद।

( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।

## कार्यालय: आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

पत्रांक: 382/एस.टी./आयुक्त/मेरठ/2025

दिनांक: 27/08/2025

प्रेषक,

आयुक्त

मेरठ मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

नगर विकास विभाग,

उ०प्र० शासन, लखनऊ।

**विषय:** खोडा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं०-754मि/0.0300हे० व खसरा नं०-766/2.200हे० कुल क्षेत्रफल 2.500हे० को गाजियाबाद नगर निगम को वैज्ञानिक पद्धति से कलस्टर बेस्ड ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु हस्तगत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21-22 फरवरी 2018 को आयोजित किये गये निवेशक शिखर सम्मेलन में गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु एम.ओ.यू. के क्रम में ग्राम-गालान्द में मैसर्स जी०सी० इन्टरनेशनल द्वारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना/संचालन का कार्य प्रारम्भ किया जाना था। उपरोक्त एम.ओ.यू. के अनुसार मैसर्स जी०सी० इन्टरनेशनल द्वारा 2300 टी.पी.डी. की कार्य क्षमता का एक वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करना था। चूंकि गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन लगभग 1600-1800 मीट्रिक टन है। निगम सीमान्तगत प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के साथ ही जनपद की अन्य नगरीय निकायों यथा मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी, खौड़ा, निवाड़ी, पतला, फरीदनगर, डासना एवं जनपद हापुड़ सहित बाबूगढ़ व पिलखुवा क्षेत्र की निकाय क्षेत्र अन्तर्गत उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का निस्तारण भी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों का अनुपालन करते हुए मैसर्स जी.सी. इन्टरनेशनल द्वारा स्थापित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पर ही किये जाना प्रस्तावित था, जिस हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी 33.11 एकड़ भूमि के अतिरिक्त 11.14 एकड़ भूमि नगर निगम द्वारा कृषकों से क्रय करते हुए ग्राम गालान्द एवं पिपलैहड़ा में नगर निगम के पास वर्तमान में उपलब्ध कुल 44.25 एकड़ भूमि मैसर्स जी.सी. इन्टरनेशनल फर्म को उपलब्ध करायी गयी। ग्राम गालान्द स्थित निगम स्वामित्व की 44.25 एकड़ भूमि पर दिनांक 20.11.2021 से निर्माण कार्य प्रारम्भ करते हुए 8 फीट ऊंचाई में, 180 मीटर लम्बी चाहरदीवारी का निर्माण कराया गया, दिनांक 24.11.2021 को प्रातः 9:30 बजे नगर निगम की टीम द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही 300-400 अज्ञात लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गयी तथा नगर निगम द्वारा बनायी गयी 8 फीट ऊंचाई में, 180 मीटर लम्बी चाहरदीवारी के निर्माण को ध्वस्त कर दिया तथा मौके पर निर्माण कार्य के उपयोग में लाये जा रहे वाहनों यथा जे.सी.बी. संख्या-यू.पी.-14 जे टी-7384 का शीशा व टैक्टर संख्या यू.पी.-14 जी टी-1082 की हैड लाइट्स आदि को लाठी डण्डों से क्षतिग्रस्त करते हुए टैट, कुर्सियां इत्यादि को तोड़ दिया गया जिस कारण वर्तमान समय तक उक्त स्थल पर कार्य आरंभ नहीं हो सका है।

गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर के ठोस अपशिष्ट का निस्तारण पूर्व से ग्राम भिक्कनपुर में किया जा रहा था किन्तु वहां भी कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा कई बार संवाद स्थापित कर ग्रामवासियों को प्रोसेसिंग साईट की आवश्यकता के सम्बन्ध में समझाने का प्रयास किया गया वर्तमान समय में नगर निगम गाजियाबाद सीमान्तगत प्रतिदिन 1600-1800 एम०टी० ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित होता है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर के ठोस अपशिष्ट का निस्तारण पूर्व से ग्राम भिक्कनपुर में किया जा रहा है किन्तु वहां विकास संघर्ष समिति गाजियाबाद एवं क्षेत्रवासियों के विरोध तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद विचाराधीन होने के कारण ग्राम भिक्कनपुर में वर्तमान समय में ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया जा सका, जिस कारण गाजियाबाद नगर निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया

अपनाकर ग्राम ढबारसी में प्रोसेसिंग स्थल का चयन किया गया है। उक्त स्थल पर निजी फर्म द्वारा बाउण्ड्रीवॉल मय प्रोसेसिंग हेतु मशीनरी स्थापित कर, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTE (Consent to Established) भी प्राप्त कर लिया गया है, किन्तु यहां पर भी भारी विरोध होने के कारण से उक्त प्लॉट को दिनांक 14.06.2025 तक क्रियाशील नहीं किया जा सका किन्तु दिनांक 15.6.2025 को पुलिस प्रशासन से सहयोग से दिनांक 15.06.2025 से उक्त प्लॉट को क्रियाशील कर दिया गया है, किन्तु ग्राम की सोसायटी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में जनहित याचिका 1584/2025 ढबारसी ग्राम विकास समिति व उ0प्र0 राज्य व अन्य दाखिल की गयी है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है। कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा स्वार्थवश सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण उनके विरुद्ध ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित थाने में तहरीर दी गयी थी। प्रश्नगत स्थल पर ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु पर्याप्त नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कराया जा रहा है। यदि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश अथवा अन्य किसी कारण से ग्राम ढबारसी स्थित प्रोसेसिंग प्लॉट पर रोक लग जाती है जब ऐसी स्थिति में गाजियाबाद नगर निगम के पास ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है।

गाजियाबाद नगर निगम ने लिंगेसी वेस्ट का सफलतापूर्वक वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किया गया यथा ग्राम मोरटा में 05 लाख मीट्रिक टन, ग्राम भिक्कनपुर में 2.72 लाख मीट्रिक टन, इन्दिरापुरम में 1.67 लाख मीट्रिक टन और प्रताप विहार में 05 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निस्तारण करते हुए वहां 193643.53 वर्ग मीटर मुक्त हुई भूमि पर 3,43,461/- पौधों को सफलतापूर्वक रोपित किया गया है।


उपरोक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र सं0 1407/डी0एल0आर. सी.कले0गा0बाद/2021 दिनांक 21.12.2021 के द्वारा विज्ञप्ति/आदेश जारी कर नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर के लिए ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा सं0 खसरा सं0-754मि/0.0300हे0 व खसरा सं0-766/2.200हे0 कुल क्षेत्रफल 2.500हे0 को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सेनेटरी लैण्डफ़ील साइट के लिए भूमि का पुनर्गठन किया गया। उक्त हेतु शासन द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लॉट हेतु अंकन 783.82 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुए कार्यदायी संस्था सी.एण्ड.डी.एस. से अनुबंधित धनराशि अंकन 590.37 लाख (जी.एस.टी. अतिरिक्त) द्वारा दिनांक 05.01.2022 से ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लॉट का निर्माण कार्य आरंभ किया गया तथा दिनांक 15.03.2023 को कार्यदायी संस्था सी.एण्ड.डी.एस. द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण किया गया एवं अंकन 82.31 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करते हुए कार्यदायी संस्था सी.एण्ड.डी.एस. से अनुबंधित धनराशि अंकन 52.20 लाख (जी.एस.टी. अतिरिक्त) द्वारा दिनांक 01.02.2023 से ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु एम.आर.एफ. सेन्टर का निर्माण कार्य आरंभ किया गया तथा दिनांक 30.09.2023 को कार्यदायी संस्था सी.एण्ड.डी.एस. द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण किया गया किन्तु कार्य पूर्ण होने के 02 वर्ष पश्चात भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लॉट एवं एम.आर.एफ. सेन्टर क्रियाशील नहीं हो पाये हैं। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा क्लस्टर बेस्ड मॉडल के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति यथा सी.बी.जी प्लॉट इत्यादि द्वारा ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किये जाने की योजना है जिस आधार पर गाजियाबाद नगर निगम सिस हिण्डन स्थित 01 जोन के ठोस अपशिष्ट सहित नगर पालिका खोड़ा मकनपुर के ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकेगा। प्रश्नगत भूमि पर न्यूनतम 500 टी.पी.डी व अधिकतम 700 टी.पी.डी. ठोस अपशिष्ट का निस्तारण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नगर पालिका खोड़ा मकनपुर में ठोस अपशिष्ट के उत्सर्जन की मात्रा 175-200 टी.पी.डी. है इसलिए वित्तीय एवं शासकीय हित में प्लॉट की क्षमतानुसार नगर निगम क्षेत्र के ठोस अपशिष्ट के निस्तारण करने की आवश्यकता है। उ0प्र0 शासन द्वारा घोषणा की गयी है कि नगर पालिका परिषद लोनी, खोड़ा मकनपुर, मुरादनगर एवं नगर पंचायत डासना सहित 22 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाया जायेगा इस सम्बन्ध में नगर पालिकाओं/ग्राम पंचायतों को गाजियाबाद नगर निगम में विलय/नगर निगम बनाये जाने हेतु सर्वे आदि की कार्यवाही प्रगतिशील है जिस कारण उक्त भूमि भविष्य में 10 वर्ष से अधिक समय के लिए ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उपयोगी सिद्ध होगी।

उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खोड़ा मकनपुर, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/अपर जिलाधिकारी, नगर आयुक्त एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा सं० खसरा नं०-754मि/0.0300हे० व खसरा नं०-766/2.200हे० कुल क्षेत्रफल 2.500हे० एवं उस पर निर्मित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट एवं एम.आर.एफ. सेन्टर को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तगत करने हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार खोड़ा मकनपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु ग्राम निडौरी, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा सं० खसरा नं०-754मि/0.0300हे० व खसरा नं०-766/2.200हे० कुल क्षेत्रफल 2.500हे० एवं उस पर निर्मित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट एवं एम.आर.एफ. सेन्टर को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तगत करने हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

  
(हृषिकेश भास्कर यशोद)

आयुक्त

मेरठ मण्डल, मेरठ।



# कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज

## उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्था



आ.नियमानुसार आ.क. कार्यवाही  
प्रधान कार्यालय :- टी.सी.-38-वी. विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-226010

E-mail: director@cdsupjn.org.

पत्रांक. 256/पी०एस०डी०/मु०/तक०स्वी०/22

दिनांक. 22/12/2022

13/2  
9791/ERB  
12/12/2022

कार्यालय ज्ञाप

परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-31, गाजियाबाद के पत्रांक-1604/कार्य-55/05, दिनांक-14.11.2022, द्वारा प्रेषित "जनपद-गाजियाबाद के नगर पलिका परिषद, खोड़ा-भकनपुर क्षेत्रान्तर्गत "स्वच्छ भारत मिशन नगरीय" के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में मैटेरियल रिकवरी फसेलिटी का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु" विस्तृत आगणन की मूल स्वीकृत लागत रु० 82.31 लाख के सापेक्ष रु० 82.31 लाख की तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के विस्तृत आगणन नियंत्रक रजिस्टर क्रमांक-31/ वर्ष 2022-23 में अंकित करते हुए निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है। इस योजना की मूल स्वीकृत लागत रु० 82.31 लाख है। जिनकी विस्तृत फांट निम्नानुसार है:-

विस्तृत आगणन के अनुसार लागत की गदवार फांट:-

रु० लाख में

कार्य की लागत	सेन्टेज @12.50%	जी०एस०डी० @18%	लेबर सेस @1%	विद्युत संयोजन	वाट आउट आइटम	योग
61.08	7.63	10.99	0.61	2.00	-	82.31

- कार्य का सम्पादन कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद, के कार्यवृत्त पत्रांक-624/21-एल०वी०सी०/2022-23 दिनांक-07.10.2022, जिसके अनुसार योजना की स्वीकृत लागत रु० 82.31 लाख है, में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कराये जायें।
- कार्य का सम्पादन आगणन में स्वीकृत विशिष्टियों/लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/विशिष्टियों के अनुसार कराये जायें।
- आगणन में ली गयी दरें पी०डब्ल्यू०डी० एस०ओ०आर० उन्नाव 19.07.2022, इलेक्ट्रिकल एस०ओ०आर० 01.04.2018, डी०एस०आर० 2021 तथा मार्केट रेट के अनुसार आगणन विरचन हेतु है। वास्तविक भुगतान आमंत्रित ई-निविदा के आधार पर प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर किये जायें।
- प्राप्त धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य निर्धारित अवधि एवं स्वीकृत लागत के अन्तर्गत पूर्ण कराये जायें। इसमें किसी प्रकार का विचलन होने पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- आगणन स्वीकृति में प्रार० एवं मू० प्रभाग द्वारा जारी अप्रैजल नोट में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
- कार्य स्थल पर मिट्टी भराई की स्थिति में इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1569/आर०ई०(टी०)/मु०/10 जी०-2/162, दिनांक 16.06.2010 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त ही मिट्टी भराई का कार्य कराया जाये।
- भवन की संरचना में "स्ट्रक्चरल डिजाइनर" द्वारा स्टील की गणना में स्टील के प्रकार स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अतः निर्माण कार्य में सामान्यतः Fe-500 स्टील का ही प्रयोग किया जाये।
- परियोजना प्रबन्धक द्वारा निविदा की बिल आफ क्वांटिटी बनाते समय एस०ओ०आर० तथा डी०एस०आर० आइटम्स की भाषा सम्वन्धित एस०ओ०आर० /डी०एस०आर० से ही अंकित किया जाये।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व मानचित्रों को अवश्यतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल ऑथारिटी से स्वीकृत करा लिया जाये।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय विलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाये।

(शिवराज सिंह)

मुख्य महाप्रबन्धक(द्वितीय)

पु०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
- मुख्य महाप्रबन्धक(द्वितीय), सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- महाप्रबन्धक(नि०-09, नि०-08/नो०अधि०), सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्रावली हेतु।
- वित्त अधिकारी, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-31 सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।
- स्थानिक अभियंता(तक०) सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को आगणन की एक प्रति के साथ अभिलेखाधर्ष एवं इस आशय से प्रतिलिपि इस आगणन की आगणन स्वीकृति रजिस्टर में अभिलिखित करना सुनिश्चित करें।

1- पी०डब्ल्यू०डी०, यूनिट-31, CDS, उ०प्र० जल निगम 02

2- ए० खोड़ा - भकनपुर :  
कृपया नियमानुसार आ०का०/अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

प्रभारी अधिकारी (स्थ०नि०)/  
कृते जिलाधिकारी  
गाजियाबाद

मुख्य महाप्रबन्धक(द्वितीय)

डाक प्राप्ति

न०. 999 दिनांक 25/12/23

नस्थी कागजों की सं०.....

डाक प्राप्तकर्ता

ह०.....

न०पा०परि०खोड़ा-भकनपुर, गाजियाबाद

आभजात  
प्रमुख सचिव

75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव



अर्द्ध शा.0. पत्र सं०-586/नॉ-5-

नगर विकास, नगरीय योजनाएं एवं  
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक : 02-02-23

श्रीमती सेल्वा जी,

आपके मण्डल के विभिन्न नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता के लम्बित मुद्दों को आपके संज्ञान में लाना है। निरंतर प्रयास एवं अनुश्रवण के उपरान्त भी CSWAP (सिटी सोलिंग वेस्ट एक्शन प्लान), CSAP (सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान) MRF (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) और WTC (वेस्ट टू कम्पोस्ट प्लांट) हेतु भूमि की उपलब्धता का प्रकरण लंबित है। भूमि उपलब्ध न होने के कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है और जिसका सीधा प्रभाव स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 की रैंकिंग पर पड़ेगा। इससे संबंधित नगरीय निकाय को स्वच्छ रखने का कार्य भी प्रभावित होगा।

आपके मण्डल के अंतर्गत विभिन्न नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन की विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि की अनुपलब्धता के प्रकरणों की सूची संलग्न है।

इस संबंध में आपसे अपेक्षा है कि कृपया प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप कर स्वच्छ भारत मिशन की जिन परियोजनाओं हेतु अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है, उन परियोजनाओं के लिए तत्काल भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु व्यक्तिगत स्तर से सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, ताकि विलम्बित प्रकरण का यथाशीघ्र समाधान संभव हो सके।

Email

Acl(11)

Commissioner,  
Meerut Division, Meerut.

31/2/23

श्रीमती सेल्वा कुमारी जे०  
मण्डलायुक्त, मेरठ,  
उत्तर प्रदेश।

M.A.I

(महेन्द्र प्रसाद)

आभजात

मेरठ मण्डल, मेरठ।

कार्यालय पता : 601, बापू भवन, लखनऊ-226001  
दूरभाष सं० : 0522-2237799, 2838105 (डी.एल.बी.) ई-मेल: psecup.urbandev@nic.i





कार्यालय

जिलाधिकारी,

पत्रांक: 1407 / सात-डी0एल0आर0सी0-कले0-गा0बाद / 2021

गाजियाबाद ।

दिनांक: 21.12.2021

## विज्ञापित/आदेश

शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिस्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा 59 की उप-धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं राकेश कुमार सिंह जिलाधिकारी, गाजियाबाद निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 व 7 (गाटा संख्या व क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून 2016 के शासनादेश के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ ।

## अनुसूची

क0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है0में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण परियोजना जिसके लिए भूमि का पुर्नग्रहण किया जा रहा है ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गाजियाबाद	गाजियाबाद	डासना	निडौरी	754मि0 766मि0 02 किता	0.300 2.200 2.500	श्रेणी 6-4 ऊसर	नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हुए तहसील गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद खोडा-मकनपुर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सेनेट्री लैण्डफिल साईट के विकास हेतु ।

( राकेश कुमार सिंह )  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ ।
- 2- प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ ।
- 4- एक अतिरिक्त प्रति सहित अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय प्रैस इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापित शासकीय गजट में प्रकाशित कराते हुए गजट की प्रति इस कार्यालय/आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ को भी भिजवाने का कष्ट करें ।
- 5- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
- 6- उप-जिलाधिकारी/तहसीलदार गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराकर उद्घरण खतौनी की दो प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
- 7- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोडा-मकनपुर ।

डाक प्राप्ति

न0.1.26.3.....दिनांक 21/12/21

नत्थी कागजों की सं0.....1.....

डाक प्रेषक

.....

न0प्र0परिषद खोडा-मकनपुर, गाजियाबाद

*[Signature]*  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद ।

SFL  
के गजट में  
प्रकाशित रहे  
21.12.21

कार्यालय  
क. 1407 / सात-डी0एल0आर0सी0-कले0-गा0बाद / 2021

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद ।  
दिनांक: 21.12.2021

(97)

विज्ञापित/आदेश  
शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का अंशिक परिस्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-8 सं0 2012) की धारा 59 की उप-धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विनियम 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं राकेश कुमार सिंह जिलाधिकारी, गाजियाबाद निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 व 7 (गाटा संख्या व क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून 2016 के शासनादेश के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (है0में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण परियोजना जिसके लिए भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा रहा है ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गाजियाबाद	गाजियाबाद	डासना	निडौरी	754मि0 766मि0 02 किता	0.300 2.200 2.500	श्रेणी 6-4 ऊसर	नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के निर्वहन पर रखते हुए तहसील गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद खोडा-मकनपुर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सेनेट्री लेण्डफिल साईट के विकास हेतु।

( राकेश कुमार सिंह )  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- एक अतिरिक्त प्रति सहित अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय प्रैस इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापित शासकीय गजट में प्रकाशित कराते हुए गजट की प्रति इस कार्यालय/आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ को भी भिजवाने का कष्ट करें।
- 5- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 6- उप-जिलाधिकारी/तहसीलदार गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराकर उद्धरण खतौनी की दो प्रतियों तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोडा-मकनपुर।

  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद ।


COMPLETION CERTIFICATE

- |    |                     |   |   |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | Name of Work        | - | Construction of Material Recovery Facility (MRF) in solid waste management under "Swachh Bharat Mission-Urban" under Nagar Palika Parishad, Khoda-Makanpur. |
| 2. | Construction Agency | - | C. & D.S. U.P. Jal Nigam Unit-31, Ghaziabad.  |
| 3. | G.O. No. & Date     | - | 624/21-एलबीसी/2022-23 दिनांक 07.10.2022   |
| 4. | Sanctioned Cost     | - | Rs.82.31 Lacs   |
| 5. | Agreement Cost      | - | Rs. 52.20 Lacs + GST  |
| 6. | Date of Start       | - | 01-02-2023  |
| 7. | Date of Completion  | - | 30-09-2023  |

Certified that the work of Construction of Material Recovery Facility (MRF) in solid waste management under "Swachh Bharat Mission-Urban" under Nagar Palika Parishad, Khoda-Makanpur has been completed satisfactorily. There have been no deviation from the sanctioned plan. Above mentioned works are taken over.

Handed Over

Taken Over

  
(Sadanand)  
Resident Engineer  
Unit-31 C. & D.S.  
U.P. Jal Nigam Ghaziabad

  
(Rajneesh Jaiswal)  
Project Manager  
Unit -31 C. & D.S.  
U.P. Jal Nigam Ghaziabad

  
अवर अभियन्ता  
न०पा०परि०खोडा-मकनपुर,न०पा०परि०खोडा-मकनपुर  
गाजियाबाद

  
अधियासी अधिकारी  
न०पा०परि०खोडा-मकनपुर  
गाजियाबाद


OFFICE OF THE PROJECT MANAGER UNIT-31 C. & D.S. U.P. JAL NIGAM GHAZIABADHanding Over Note

- |    |                     |   |   |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | Name of Work        | - | Construction of Solid waste Management Plant, at Khoda Makanpur (90 TPD), District Ghaziabad. |
| 2. | Construction Agency | - | C.& D.S. U.P. Jal Nigam Unit-31, Ghaziabad.   |
| 3. | G.O. No. & Date     | - | 127/2021/8871 / नौ-5-2021-44बजट / 2021<br>दि 12.10.2021                                       |
| 4. | Sanctioned Cost     | - | Rs.783.82 Lacs  |
| 5. | Agreement Cost      | - | Rs. 590.37 Lacs + GST   |
| 6. | Date of Start       | - | 05-01-2022  |
| 7. | Date of Completion  | - | 15-03-2023  |

Certified that the work of Construction of Solid waste Management Plant, at Khoda Makanpur (90 TPD), District Ghaziabad has been completed satisfactorily. Above mentioned works are taken over.

Handed Over


Taken Over




(Ashish Garg)  
Resident Engineer  
Unit-31 C. & D.S.  
U.P. Jal Nigam Ghaziabad  
Resident Engineer  
Unit-31, C. & D.S.  
U.P. JAL NIGAM  
Ghaziabad



(Rajneesh Jaiswal)  
Project Manager  
Unit-31 C. & D.S.  
U.P. Jal Nigam Ghaziabad  
Project Manager  
Unit-31, C. & D.S.  
U.P. JAL NIGAM  
Ghaziabad



अध्यक्ष  
न०पा०परिषद्  
गाजियाबाद



अधिकांशी  
न०पा०परिषद्  
गाजियाबाद


COMPLETION CERTIFICATE

1.	Name of Work	-	Construction of Solid waste Management Plant, at Khoda Makanpur (90 TPD), District Ghaziabad.
2.	Construction Agency	-	C.& D.S. U.P. Jal Nigam Unit-31, Ghaziabad.
3.	G.O. No. & Date	-	127/2021/8871 / नौ-5-2021-44बजट / 2021 दि० 12.10.2021
4.	Sanctioned Cost	-	Rs.783.82 Lacs
5.	Agreement Cost	-	Rs. 590.37 Lacs + GST
6.	Date of Start	-	05-01-2022
7.	Date of Completion	-	15-03-2023


Certified that the work of Construction of Solid waste Management Plant, at Khoda Makanpur (90 TPD), District Ghaziabad has been completed satisfactorily. Above mentioned works are taken over.


Handed Over

Taken Over

  
(Ashish Garg)  
Resident Engineer  
Unit-31 C. & D.S.  
U.P. Jal Nigam Ghaziabad  
Resident Engineer  
Unit-31, C. & D.S.  
U.P. JAL NIGAM  
Ghaziabad

  
(Rajneesh Jaiswal)  
Project Manager  
Unit -31 C. & D.S.  
U.P. Jal Nigam Ghaziabad  
Project Manager  
Unit-31, C. & D.S.  
U.P. JAL NIGAM  
Ghaziabad

  
अधिकारी  
न०पा०परि०खाना-मकानपुर,  
गाजियाबाद

  
अधिकारी  
न०पा०परि०खाना-मकानपुर,  
गाजियाबाद

Annexure L: Bio-fencing measures at Galand Site

